4. विभागावार विशिष्ट संस्तुतियां

विभिन्न विभागों से पदों, संवर्गों की सेवा नियमावलियों, कार्य विवरण तथा वेतन, कार्यों/अधिष्ठान की अन्य मदों के व्यय भार आदि विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की गई। उपलब्ध सूचनाओं तथा विभागों के वित्त नियंत्रकों, विभागाध्यक्षों एवं प्रशासकीय विभाग के सचिवों से हुए विचार–विमर्श के क्रम में विभागवार विशिष्ट बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुतियां आगे पृथक–पृथक दी जा रही हैं।

(1) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

चिकित्सा विभाग अंतर्गत विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों की संख्या निम्नानुसार ज्ञात हुई है:–

(अ) बड़े चिकित्सालय श्रेणी (बेस, जिला, संयुक्त व अन्य)

क्र0	जनपद	बेस	जिला (महिला/पुरूष)	संयुक्त	अन्य	कुल
1.	पौड़ी	02 (श्रीनगर, कोटद्वार)	02	02 (श्रीनगर, सतपुली)	–	06
2.	देहरादून	–	01 (महिला)	01	08	10
3.	चमोली	–	01	–	01 (टी.बी.)	02
4.	रूद्रपयाग	–	01	–	–	01
5.	टिहरी	–	01	01 (नरेंद्रनगर)	–	02
6.	उत्तरकाशी	–	02	–	–	02
7.	हरिद्वार	–	02	01 (रूड़की)	01	04
8.	नैनीताल	01 (हल्द्वानी)	02	02 (पदमपुरी, रामनगर)	05	10
9.	उ.सिं. नगर	–	01	–	01	02
10.	अल्मोड़ा	01 (अल्मोड़ा)	02	01 (रानीखेत)	–	04
11.	बागेश्वर	–	01	–	–	01
12.	पिथौरागढ़	–	02	01 (धारचूला)	03	06

क्र0	जनपद	बेस	जिला (महिला/पुरूष)	संयुक्त	अन्य	कुल
13.	चम्पावत	–	01	01 (टनकपुर)	–	02
	योग	**04**	**19**	**10**	**19**	**52**

उक्त के अतिरिक्त राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विकासखण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की सूचना निम्नानुसार बताई गई है:–

क्र0	जनपद	सामु0 स्वा0 केंद्र	प्रा0 स्वा0 केंद्र	अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केंद्र	राजकीय एलो0 चि0	कुल
1.	पौड़ी	12	06	18	66	102
2.	देहरादून	07	01	22	23	53
3.	चमोली	06	01	12	23	42
4.	रूद्रप्रयाग	02	01	15	22	40
5.	टिहरी	11	03	21	29	64
6.	उत्तरकाशी	04	02	09	20	35
7.	हरिद्वार	08	01	27	–	36
8.	नैनीताल	08	03	10	31	52
9.	उ.सिं. नगर	07	01	25	08	41
10.	अल्मोड़ा	09	04	20	40	73
11.	बागेश्वर	03	–	13	14	30
12.	पिथौरागढ़	07	03	12	33	55
13.	चम्पावत	02	01	07	10	20
	योग	**86**	**27**	**211**	**319**	**643**

उक्त सूचना के आधार पर प्रदेश में एलोपैथी पद्धति के विभिन्न स्तर के राजकीय चिकित्सालयों की संख्या 695 है जिनमें लगभग 8683 शैय्या की क्षमता है। इस आधार पर प्रति लगभग 14532 जनसंख्या पर एक राजकीय चिकित्सालय एलोपैथी पद्धति का उपलब्ध होता है। उल्लेखनीय है कि बेस चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों सहित कुल 52 व सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र 86 को मिलाकर ही 138 बड़े राजकीय चिकित्सालय राज्य में हैं। यह बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में 20000 जनसंख्या पर तथा मैदानी क्षेत्र में 30000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मानक है, जिस अनुसार राज्य में कुल चिकित्सालयों की संख्या मानक से अधिक है। यदि 20000 जनसंख्या के ही मानक का आधार पूरे राज्य हेतु लें तो भी कुल 190 चिकित्सालय राज्य में मानक से अधिक

होते हैं जबकि औसत 25000 के मानक अनुसार राज्य में कुल 291 चिकित्सालय अधिक स्थापित हैं। अतः चिकित्सालयों की संख्या कम करते हुए चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की कमी तथा अन्य संसाधनों की कमी से काफी हद तक निपटा जा सकेगा और शेष चिकित्सालयों में समुचित व्यवस्थाएं करना भी सम्भव हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य में जनता को चिकित्सा सेवाएं तीन स्तर के चिकित्सालयों के माध्यम उपलब्ध कराने की व्यवस्था अपनाई गई है जिसके अंतर्गत सबसे निचले अर्थात प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0), द्वितीयक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय/बेस चिकित्सालय की व्यवस्था के साथ तृतीयक स्तर पर मेडिकल कालेज की व्यवस्था है। वर्तमान में ऋषिकेश में ए0आई0आई0एम0एस0 की शाखा सहित तीन राजकीय मेडिकल कालेज व कतिपय निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज राज्य में हैं जबकि प्राथमिक स्तर पर पी0एच0सी0/अतिरिक्त पी0एच0सी0/राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों में मुख्य समस्या चिकित्सकों की उपलब्धता न होना है जबकि अन्य अवस्थापना सुविधाओं का भी अभाव किसी न किसी रूप में विद्यमान है। राज्य सरकार ने सुपर स्पेशिलिटी स्तर के चिकित्सकों की व्यवस्था संविदा आधार पर यद्यपि करने की व्यवस्था अपनाई है तथा कतिपय मामलों में पी0पी0पी0 प्रारूप पर भी ऐसी चिकित्सा सेवाएं बनाई हैं (यथा फोर्टिस के साथ कोरोनेशन में हृदय रोग तथा डाइलिसिस सम्बन्धी सुविधा आदि)। इसके बावजूद चिकित्सकों की कमी की समस्या बनी हुई है जिसके निकट भविष्य में लम्बे समय तक समाधान की कोई संभावना नजर नहीं आती है। अतः राज्य सरकार को अन्य कड़े परन्तु व्यावहारिक कदम शीघ्र उठाने होंगे। कुछ वर्ष पूर्व एन0आर0एच0एम0 योजना के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा इंगित यह टिप्पणी कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली इस योजना को केवल 'ईंट व गारे' की योजना न बना दिया जाय, ध्यान दिये जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चिकित्सकों की कमी प्रारम्भ से ही रही है तथापि राज्य में 86 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 211 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 319 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, चार बेस चिकित्सालय, 10 संयुक्त चिकित्सालय आदि स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 'ट्रामा सेन्टर' भी स्थापित किये गये हैं। एक अपुष्ट जानकारी अनुसार रानीखेत के ट्रामा सेन्टर भवन को इस समय आवासीय भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी0एम0एच0एस0) संवर्ग

पूर्व वर्णित चिकित्सालयों के संचालन अर्थात जनता को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित निदेशालय/विभागाध्यक्ष आदि विभिन्न कार्यालयों के लिए पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में निम्नानुसार सृजित, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध हुआ है:–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	महानिदेशक/12000 (एज0ए0मी0)	01	–	01	प्रभारी महानिदेशक
2.	निदेशक/10000	06	06	–	
3.	अपर निदेशक/8900	35	27	08	प्रोन्नति प्रस्ताव शासन को प्रेषित
4.	संयुक्त निदेशक/8700	161	199	(–)38	
5.	वरिष्ठ श्रेणी चिकित्साधिकारी/7600	425	256	169	प्रोन्नति प्रस्ताव शासन को प्रेषित
6.	चिकित्साधिकारी ग्रेड–1/6600	643	117	526	–तदैव–
7.	चिकित्साधिकारी/5400	1444	481	963	712 रिक्तियों हेतु अधियाचन प्रेषित
	योग	**2715**	**1086**	**1629**	

यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त के अतिरिक्त 30 चिकित्सक उ0प्र0 विकल्पधारी भी राज्य में कार्यरत हैं जबकि 305 संविदा आधारित चिकित्सा अधिकारी भी चिकित्सालयों में कार्यरत हैं।

उक्तानुसार सीधी भर्ती के 963 चिकित्साधिकारी तथा प्रोन्नति के 526 चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 व 169 वरिष्ठ श्रेणी चिकित्साधिकारी के पद अर्थात कुल 1658 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि चिकित्साधिकारी के 248 पद आस्थगित रखे गये हैं। यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2014 में चिकित्साधिकारी के 192 पद आस्थगित रखते हुए संयुक्त निदेशक के 77 अधिसंख्य पद सृजित किये गये थे जिसमें से वर्तमान में 39 संयुक्त निदेशक के पद अधिसंख्य अवशेष हैं अर्थात इस व्यवस्था के सापेक्ष 98 चिकित्साधिकारी के पद आस्थगित रहते हैं। साथ ही वर्ष 2016 में चिकित्साधिकारी के 150 पद आस्थगित कर दन्त शल्यकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं। तदानुसार वर्तमान में कुल 248 पद (150+98 = 248) चिकित्साधिकारी के पद आस्थगित होने इंगित किये गये हैं।

उक्तानुसार विभिन्न स्तर के 695 राजकीय चिकित्सालयों हेतु चिकित्सक संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) में प्रशासकीय पदों सहित स्वीकृत 2715 पदों में आस्थगित 248 पदों को घटाते हुए शेष 2467 पदों के सापेक्ष कुल रिक्तियां 1381 (1629 – 248 = 1381) हैं, अर्थात लगभग 56 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों की निकट भविष्य में पूर्ति की सम्भावना भी नहीं प्रतीत होती एवं वर्षों से चिकित्सक संवर्ग के कर्मियों की कमी सहित चिकित्सा सम्बन्धी

सुविधाएं जनता को उक्त विवरण में इंगित अधिकांश चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है। अतः फिलहाल उपलब्ध चिकित्सकों की तैनाती एवं अन्य संसाधनों के सम्बन्ध में सुविचारित, सुनियोजित व समुचित प्रबंधन से चिकित्सा सेवाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :–

1. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्ध संख्या का उपयोग यथा संभव केवल चिकित्सकीय सेवाओं में ही किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकीय, प्रशासनिक व अनुश्रवण आदि गैर चिकित्सकीय कार्यों के लिए यथोचित अर्हताधारी पृथक मानव संसाधन की व्यवस्था लागू करने पर विचार करना उचित होगा।

2. निदेशक स्तर पर 06, अपर निदेशक स्तर पर 35 तथा संयुक्त निदेशक स्तर पर 161 पद पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में नियत किये गये हैं। संयुक्त निदेशक पद में कार्यरत कार्मिक स्वीकृत पदों से अधिक हैं। इन पदों हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के लिए नितान्त आवश्यक पदों को चिन्हित करते हुए पदों की संख्या कम करने पर विचार किया जाय तथा इन पदों पर कार्यरत चिकित्सकों को चिकित्सालयों में चिकित्सकीय कार्य हेतु उपयोग करने की कार्यवाही की जाय।

यहां यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 9.11.2006 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पी0एम0एच0एस0) में स्वीकृत पदों का चिन्हीकरण/वर्गीकरण कर संयुक्त निदेशक स्तर तक दो उप संवर्ग क्रमशः सामान्य उप संवर्ग व विशेषज्ञ उप संवर्ग गठित किये गये। अवलोकनीय है कि महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति की आख्या में चिकित्सकों के संवर्ग को सामान्य व विशेषज्ञ उप संवर्ग में विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कदाचित महानिदेशालय स्तर के इस प्रस्ताव में टिक्कू समिति की संस्तुतियों को संज्ञान में लिया गया। अब कदाचित पुनः अलग–अलग उप संवर्ग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है जैसा कि सेवा नियमावली सेवा 2014 से भी इंगित होता है। चूंकि चिकित्सकीय सेवा सामान्य ड्यूटी एवं विशेषज्ञ (विभिन्न विषय की विशेषज्ञता) की तरह उपलब्ध होती है अतः सभी चिकित्सकों का एक ही संवर्ग रखते हुए विशेषज्ञों को कुछ भत्ता अथवा विशेष वेतन की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है परन्तु किसी भी दशा में अलग–अलग उप संवर्ग अथवा अन्य व्यवस्था माध्यम पदों की संख्या में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

3. विभिन्न स्तर के राजकीय चिकित्सालयों की संख्या विवरण से यह स्पष्ट है कि 95 विकासखण्डों में 86 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 52 जिला/बेस/संयुक्त/अन्य बड़े चिकित्सालय स्थापित हैं। साथ ही 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 211 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 319 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भी हैं। इस स्थिति में चिकित्सकों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत (पैरामेडिकल व अन्य आवश्यक स्टाफ/संसाधनों की यथास्थिति सीमित उपलब्धता के सम्बन्ध में भी) इनकी तैनाती इस प्रकार व्यवस्थित/प्रबन्धित की जानी चाहिए

कि पहले बड़े 52 चिकित्सालयों व 86 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (कुल 138) में ही चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य आवश्यक मानव/उपकरण/सुविधाओं/संसाधनों की पूर्ति/तैनाती हो जाय और तदोपरान्त जैसे–जैसे अतिरिक्त मानव संसाधन/सुविधा/उपकरण/संसाधन उपलब्ध होता जाय उनकी तैनाती/व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नीचे क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं अंततः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में की जाय। प्रारंभ में यथास्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदों की पूर्ति कर लिए जाने की दशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि चिकित्सालयों में जहां कहीं दूरी आदि के कारण व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक हो वहां रोटेशन आधार पर सप्ताह में 1 या 2 दिन के लिए जिला/बेस अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक आदि भेजने पर विचार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कई चिकित्सालयों के निकट ही अन्य चिकित्सालय भी स्थित है जैसे जनपद नैनीताल में गरमपानी के पास धनियाकोट तथा बेतालघाट के पास ऊंचाकोट, जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा के निकट हवालबाग आदि। ऐसे चिकित्सालयों में एक ही दिन में पूर्वान्ह व अपरान्ह में एक ही चिकित्सक दो स्थानों पर ओ0पी0डी0 सेवाएं दे सकते हैं, अथवा रोटेशन पर कार्य कर सकते हैं। प्रारम्भ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में ही संचालन किया जाय और तदानुसार उनमें चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ व सुविधाओं की व्यवस्था की जाय तथा जैसे–जैसे चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ती है उसी क्रम में क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तदनुरूप संचालित करने की कार्यवाही यथासमय की जाय।

4. आगे फिलहाल नये राजकीय चिकित्सालयों की स्थापना न की जाय। साथ ही वर्तमान में चिकित्सालयों की संख्या को भी सीमित किया जाय जिस हेतु भू–स्थितिक स्थिति, सड़क मार्ग से जुड़ाव व केंद्रीय स्थान एवं/या क्षेत्र के प्रमुख स्थान आदि विशिष्ट चिन्हित मानकों को निर्धारित करते हुए चिकित्सालयों को चलाया जाय जो इन मानकों को पूर्ण करें। शेष चिकित्सालयों को जब तक अपरिहार्यता न हो आगे न चलाया जाय। यह विचारणीय है कि औसत 25000 की जनसंख्या पर चिकित्सालय की व्यवस्था करने की दृष्टि से कुल लगभग 404 चिकित्सालयों की ही आवश्यकता आंकलित होती हैं अर्थात इस आंकलन से राज्य में लगभग 291 चिकित्सालय मानक आधार पर अनुमानित संख्या से अधिक हैं।

5. इस विकल्प पर भी विचार किया जाय कि सी0जी0एच0एस0 दरों पर सी0जी0एस0एस0/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना व्यवस्था को यथा आवश्यक संशोधन सहित लागू किया जाय जिससे प्रत्येक चिकित्सालय में केवल अति न्यून संख्या में चिकित्सक तैनाती माध्यम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं (चिकित्सकीय परामर्श, जांच आदि) इस हेतु नियत की गई दरों पर मान्य किये गये चिन्हित निजी चिकित्सालयों/जांच संस्थाओं में उपलब्ध कराई जा सकती है। इस सम्बन्ध में शहरी क्षेत्रों में जहां निजी

चिकित्सालय हैं वहां सी0जी0एस0 या इस प्रकार की अन्य पद्धति को अपनाया जा सकता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां निजी चिकित्सालय नहीं है वहां सरकारी चिकित्सकों की तैनाती तथा मोबाइल चिकित्सालय व्यवस्था को अपनाने पर विचार किया जा सकता है, शहरी क्षेत्रों में जहां मरीजों की संख्या अधिक है वहां सरकारी अस्पतालों में सांयकालीन भुगतानयुक्त ओ0पी0डी0 (Paid OPD) की व्यवस्था शुरू की जा सकती है जिस हेतु निजी चिकित्सकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। इस व्यवस्था से प्राप्त धनराशि को स्टाफ, चिकित्सालय व निजी चिकित्सकों के मध्य बंटवारा किया जा सकता है। इसी प्रकार टेली मेडिसन पद्धति को व्यापक रूप से अपनाकर सीमित चिकित्सक/अन्य पैरामेडिक या जांच स्टाफ तथा सुविधाओं के होते हुए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

6. दवा क्रय के सम्बन्ध में हरियाणा मॉडल/पद्धति को अपनाने पर विचार किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक चिकित्सालय के स्टोर में दवा उपलब्ध कराने तथा कालवाधित दवाओं की वापसी आदि प्रबन्धन दवा आपूर्तिकर्ता द्वारा ही की जा सकती है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए साफ्टवेयर माध्यम क्रिया को सरल व कम समय लेने वाला विश्वसनीय रूप दिया जा सकता है।

पैरा मेडिकल संवर्ग

पैरामेडिकल संवर्ग में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना निम्नवत् बताई गई है:-

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अपर निदेशक (नर्सिंग)/8700	01	–	01	पदोन्नति पद
2.	संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)/7600	01	01	–	–तदैव–
3.	उप निदेशक (नर्सिंग)/6600	02	–	02	–तदैव–
4.	सहायक नर्सिंग अधीक्षक/5400	47	45	02	–तदैव–
5.	सिस्टर/4800	361	330	31	–तदैव–
6.	उपचारिका/4600	1111	758	353	
7.	स्वा0परि0टी0बी0/2800	24	09	15	
8.	एस0एल0टी0/4600 (वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन)	06	01	05	पदोन्नति पद
9.	लैब टैक्नीशियन/4200	327	198	129	
10.	ई0सी0जी0 टैक्नीशियन/2000	17	10	07	
11.	मुख्य नेत्र सहायक/4600	10	–	10	पदोन्नति पद
12.	वरिष्ठ नेत्र सहायक/4200	40	35	05	–तदैव–
13.	नेत्र सहायक/2800	80	77	03	

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
14.	लैब सहायक ग्राम्य/1900	65	10	55	पद समाप्त करना प्रस्तावित (लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन सहित)
15.	उप निदेशक फिजियोथैरेपिस्ट/6600	01	–	01	पदोन्नति पद
16.	प्रमुख फिजियोथैरेपिस्ट/5400	01	–	01	–तदैव–
17.	वरिष्ठ फिजियोथैरेपिस्ट/4800	04	–	04	–तदैव–
18.	फिजियोथैरेपिस्ट/4200	46	43	03	
19.	औकुपेशनल थैरेपिस्ट/4200	07	–	07	पदों की आवश्यकता नहीं बताई गई है
20.	एन0एम0ए0/2400	289	06	283	कुष्ठ रोगियों की संख्या सीमित होने के दृष्टिगत एन0एम0ए0, एन0एम0एस0 तथा एच0ई0 के सभी 359 पदों का औचित्य नहीं होना कहा है एवं पद सीमित (लगभग 60–61) ही रखने की आवश्यकता इंगित की है। अतः पदों की संख्या वास्तविक आवश्यकता अनुसार न्यूनतम रखी जाय।
21.	एन0एम0एस0/2800	60	53	07	
22.	एच0ई0/4200	10	03	07	
23.	एक्स–रे टैक्नीशियन/4600	152	63	89	
24.	डार्क रूम सहायक/1900	63	36	27	
25.	उप निदेशक फार्मेसी/7600	01	–	01	पदोन्नति पद
26.	विशेष कार्य अधिकारी (भेषज)/6600	01	–	01	–तदैव–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
27.	प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी)/ 6600	14	11	03	–तदैव–
28.	चीफ फार्मेसिस्ट/5400	187	172	15	–तदैव–
29.	फार्मासिस्ट (चिकित्सालय)/ 4200	817	799	18	
30.	फार्मासिस्ट (उपकेंद्र)/4200	536	530	06	
	योग	**4091**	**3190**	**1091**	

उक्तानुसार विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों हेतु पैरामेडिकल संवर्गों अंतर्गत (उपकेंद्रों के फार्मासिस्ट सहित) कुल 4091 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 3190 कार्मिक कार्यरत हैं। जनता को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों के साथ–साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी उतनी ही उपयोगिता है। इसको दृष्टि में रखते हुए भी कार्यवाही/विचार हेतु निम्नलिखित बिन्दु इंगित किये जा रहे हैं :–

1. पदों का सृजन व संख्या कार्य की वास्तविक आवश्यकता अनुसार ही किया जाय। कतिपय संवर्गों में यह स्पष्ट होता है कि पदों का सृजन एवं/या संख्या वृद्धि प्रोन्नति के अवसर मात्र उपलब्ध कराने के लिए किये गये हैं। यहां तक कि पद का वेतनमान भी अपनाए गये सिद्धान्त/अर्हता/समकक्षता अनुरूप नहीं रखे गये बल्कि उच्च वेतनमान अनुमन्य किये गये हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति को सुधारा जाय। इस सम्बन्ध में नर्सिंग, फार्मासिस्ट व फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग की स्थिति दृष्टव्य है।

2. प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या सीमित हो जाने की स्थिति के दृष्टिगत एन0एम0ए0, एन0एम0एस0 तथा हैल्थ एजूकेशनिस्ट पदों की संख्या वास्तविक आवश्यकतानुसार कम (लगभग 60) की जाय। इस संवर्ग में कुल 359 पद है एवं 297 कार्यरत हैं अतः 237 पद सरप्लस घोषित किये जाने होंगे। औकुपेशनल थैरेपिस्ट पद की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है जिसके दृष्टिगत वर्णित पद समाप्त किये जायें।

3. उपकेंद्रों हेतु सृजित फार्मासिस्ट के पदों को समाप्त किया जाय अथवा इन्हें मृत संवर्ग घोषित कर आगे भर्तियां न की जायं और कार्यरत कार्मिकों का समायोजन पद की उपलब्धता अनुसार फार्मासिस्ट (चिकित्सालय) के रिक्त पदों पर किया जाय। चूंकि चिकित्सालयों हेतु फार्मासिस्ट संवर्ग में मात्र 18 पद रिक्त हैं एवं उपकेन्द्रों में 530 फार्मासिस्ट पद भरे हैं, अतः कुल 34 पद समायोजन (18 फार्मासिस्ट की रिक्ति व 16 पद प्रोन्नति से) उपरान्त 506 फार्मासिस्ट अधिसंख्य घोषित किये जाने होंगे जिन्हें अग्रेत्तर होने वाली फार्मासिस्ट

(चिकित्सालय) संवर्ग की रिक्तियों में समायोजित किया जाना होगा। साथ ही उप निदेशक फार्मेसी एवं विशेष कार्याधिकारी (भेषज) का पद समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

4. चिकित्सालयों के विभिन्न स्तरों के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति के दृष्टिगत पूर्व में इंगित संस्तुति कि निचले स्तर के चिकित्सालयों को फिलहाल संचालित न किया जाय, के आलोक में पैरामेडिकल स्टाफ की पूर्ति संचालित करने हेतु चिन्हित किये जाने वाले चिकित्सालयों में ही की जाय एवं आगे संचालित न किये जाने वाले चिकित्सालयों के लिए कोई नई नियुक्तियां न की जायें और न नये पद सृजित किये जायें।

लिपिक संवर्ग

लिपिक संवर्ग में सृजित, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार इंगित किया गया है:–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ 5400	11	06	05	पदोन्नति पद
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ 4800	54	50	04	–तदैव–
3.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	54	48	06	–तदैव–
4.	प्रधान सहायक/4200	98	86	12	–तदैव–
5.	वरिष्ठ सहायक/2800	152	107	45	–तदैव–
6.	कनिष्ठ सहायक/2000	173	52	121	
	योग	**542**	**349**	**193**	

इस संवर्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु विचार किया जा सकता है–

1. स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाय।

2. पूर्व में इंगित संचालन हेतु सीमित संख्या के चिकित्सालयों को चिन्हित करने के क्रम में तदानुसार ही सम्बन्धित चिकित्सालय में लिपिक संवर्ग के पदों की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार संख्या रखी जाय एवं आगे नई नियुक्तियां (प्रोन्नति को छोड़ते हुए) न की जाय एवं न नये पद स्वीकृत किये जायें।

मलेरिया संवर्ग

वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्य हेतु सृजित, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार अवगत कराया गया है:–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	जिला मलेरिया अधिकारी/	09	07	02	पदोन्नति का पद
2.	सहायक मलेरिया अधिकारी/	11	02	09	50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति
3.	वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक/	07	05	02	पदोन्नति पद
4.	वैक्टर निरीक्षक/(मलेरिया निरीक्षक)	11	03	08	
	योग	**38**	**17**	**21**	

चूंकि इस संवर्ग में सीमित पद हैं अतः कोई विशेष बिन्दु विचारणीय प्रतीत नहीं होता, परन्तु चूंकि शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों को वैक्टर जनित रोग नियंत्रण हेतु सफाई व छिड़काव कार्य करने की जिम्मेदारी है, अतः नगर निकायों में संसाधन/व्यवस्थाएं एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है।

परिवार कल्याण अधिष्ठान

परिवार कल्याण अधिष्ठान में सृजित, कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार बताई गई है:-

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	जिला प्रशासनिक अधिकारी	08	–	08	
2.	सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) अधिकारी/5400	01	–	01	
3.	जिला स्वा0 शिक्षा एवं सूचना अधिकारी/4200	08	01	07	50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति
4.	उप जिला स्वा0 शि0एवं सू0 अधिकारी/4200	16	–	16	प्रोन्नति पद
5.	स्वा0 शि0 अधि0/4200	85	22	63	प्रोन्नति पद
6.	डी0पी0एच0एन0/5400	09	02	07	प्रोन्नति पद
7.	ट्यूटर (ए0एन0एम0टी0सी0)/ 5400	17	06	11	प्रोन्नति पद
8.	पी0एच0एन0/5400 जन स्वास्थ्य उपचारिका	20	0	20	प्रोन्नति पद

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
9.	अपर सांख्यकीय अधिकारी/ सहा0 शोध अधि0 सांख्यकीय/4600	50	31	19	पदोन्नति पद
10.	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधि0/ 4200	16	14	02	
11.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी/ सहा0 शोध अधि0 सांख्यकीय/ 4200	76	0	76	सीधी भर्ती पद
12.	स्वा0 पर्यवेक्षक महिला/2800	345	340	05	पदोन्नति पद
13.	स्वा0 पर्यवेक्षक (पुरूष)/2800	552	417	135	–तदैव–
14.	स्वा0 कार्यकर्ता (पुरूष)/2000	855	190	665	मृत संवर्ग
15.	स्वा0 कार्यकर्ता (महिला)/2000	2284	1844	440	नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन
16.	आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर/2000	07	03	04	मृत संवर्ग
17.	प्रोजेक्टनिस्ट/1900	09	–	09	मृत संवर्ग
18.	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक/1900	06	03	03	
	योग	**4364**	**2873**	**1491**	

परिवार कल्याण अधिष्ठान से सम्बन्धित पदों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विचार योग्य हैं–

1. जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एक ही ग्रेड वेतन 4200 में क्रमश 8, 16 व 85 पद सृजित हैं जबकि कार्यरत क्रमशः 01, 0 व 22 हैं। इन तीनों पदों को पृथक–पृथक रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता तथा इनकी संख्या वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित करने पर विचार किया जाय। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भी शिक्षा व जागरूकता सम्बन्धी प्रचार–प्रसार की व्यवस्था समाविष्ट है।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी पद के साथ–साथ जिला प्रशासनिक अधिकारी पद का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

2. डी0पी0एच0एन0 तथा पी0एच0एन0 के पद भी एक ही ग्रेड वेतन 5400 में हैं। अतः पृथक–पृथक पद रखने का औचित्य नहीं प्रतीत होता एवं संख्या वास्तविक आवश्यकतानुसार सीमित करने पर विचार किया जाय।

3. सहायक सांख्यकी अधिकारी के सभी 76 पद रिक्त हैं तथा अपर सांख्यकीय अधिकारी के 50 में से 31 पद भरे हैं। चूंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पर्याप्त पद सृजित हैं एवं आशा कार्यकर्ता की भी व्यवस्था है, अतः सांख्यकी संवर्ग के इन दोनों पदों की संख्या को सीमित किया जाय।

4. परिवार कल्याण अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न पदों की संख्या न्यूनतम वास्तविक आवश्यकता अनुसार एवं उक्तानुसार कतिपय पदों को बनाए रखने के औचित्य पर विचार कर कुल पदो की संख्या लगभग 2800 तक सीमित की जा सकती है। समूह 'ग' एवं 'घ' के अंतर्गत अन्य/शेष पदों के सम्बन्ध में भी उक्तानुसार समीक्षा करते हुए पदों की संख्या को वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार सीमित किया जाय तथा समूह 'ग' में इस प्रकार अधिकतम लगभग 7600 से 7800 तथा समूह घ में लगभग 425–440 पद तक संख्या सीमित करने पर विचार किया जाय।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में राज्य में कुल सृजित पदों की सूचना संकलित/संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क्र0सं0	पद श्रेणी	सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	'क'	1204	901	303
2.	'ख'	2984	1941	1043
3.	'ग'	11050	7877	3173
4.	'घ'	778	447	331
	कुल	**16016**	**11166**	**4850**

उक्त कार्यरत पदों के सम्बन्ध में वर्तमान व्ययभार रू0 601.60 करोड़ तथा सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में रू0 781.64 करोड़ होना अवगत कराया गया है। यदि रिक्त पद भी भर दिये जाते हैं तो सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में लगभग रू0 339 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार सम्भावित होगा।

(2) चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत एलोपैथी चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियां होती हैं। विभाग में एक विश्वविद्यालय (हे0नं0ब0 चिकित्सा विश्वविद्यालय) व नर्सिंग कालेज/नर्सिंग स्कूल सहित एक निदेशालय और तीन मेडिकल कालेज क्रमशः राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर तथा राजकीय दून

मेडिकल कालेज, देहरादून हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/10000	01			
2.	अपर निदेशक/8900	02			
3.	संयुक्त निदेशक/8700	02			
4.	उप निदेशक/6600	02			
5.	सहायक अभियन्ता (सिविल)/5400	01			
6.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01			
7.	सहायक लेखाकार/2800	01			
8.	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी/सहायक/4200	01			
9.	आशुलिपिक/2800	01			
10.	प्रधान सहायक/4200	01			
11.	प्रवर सहायक/2800	02			
12.	कनिष्ठ सहायक/2000	03			
13.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2000	04			
14.	वाहन चालक/2000	01			
15.	चपरासी/सहायक/1900	05			
	योग	28			

समूह/श्रेणीवार उक्त पदों का सार निम्नानुसार इंगित होता है:–

क्र0	समूह/श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त
1.	क	07	–	07
2.	ख	02	01	01
3.	ग	14	01	13
4.	घ	05	–	05
	योग	**28**	**02**	**26**

मेडिकल कालेजों में छात्र संख्या तथा शैक्षणिक पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार अवगत कराया गया है:–

क्र0	संस्थान का नाम	छात्र सं0	शैक्षणिक पदों का विवरण		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	मेडिकल कालेज हल्द्वानी	100 एम0बी0बी0एस0 65 पी0जी0	271	193	81
2.	मेडिकल कालेज देहरादून	150 एम0बी0बी0एस0	229	120	109
3.	मेडिकल कालेज श्रीनगर	100 एम0बी0बी0एस0 4 पी0जी0	150	72	78

उक्त तीनों राजकीय मेडिकल कालेजों में पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

क्र0	संस्थान का नाम	सृजित पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	1005	868	406
2.	मेडिकल कालेज, श्रीनगर	1193	855	660
3.	मेडिकल कॉलेज, देहरादून	1079	440	639
	योग	**3277**	**2163**	**1705**

मेडिकल कालेज वार विभिन्न सृजित पदों व उसके सापेक्ष कार्यरत व रिक्त पदों की विस्तृत सूचना निम्नानुसार सूचित की गई है:–

क) मेडिकल कालेज, हल्द्वानी

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	प्राचार्य/डीन	10000	1	1	–
2.	प्रोफेसर	8700	24	22	2
3.	एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	7600	38	38	–
4.	मेडिकल सुपरिटेंडेन्ट	6600	1	1	–
	योग– श्रेणी क		64	62	2
5.	असिस्टेंट प्रोफेसर/लैक्चरर	5400	58	52	6
6.	इपिडिमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	1	–	1
7.	मेडिकल ऑफिसर ऑफ हैल्थ कम लैक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	2	–	2
8.	एन्टीनेटल मेडिकल ऑफिसर कम लैक्चरर कम असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	1	–	1
9.	मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर आफिसर कम लैक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	1	–	1
10.	स्टैटीशियन कम असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	1	–	1
11.	लेडी मेडिकल ऑफिसर	5400	2	3	–
12.	कैजुऐल्टी मेडिकल ऑफिसर	5400	4	6	–
13.	मेडिकल रिकार्ड ऑफिसर	5400	1	–	1
14.	ट्यूटर/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेन्ट	5400	40	23	17
15.	सीनियर रेजिडेन्ट	5400	2	–	2
16.	ट्यूटर/रजिस्ट्रार	5400	3	–	3
17.	जूनियर रेजिडेन्ट (नियत वेतन)		57	48	9
18.	ट्यूटर/डिमोन्सटेटर	5400	33	–	33
19.	हाउस सर्जन/जूनियर रजिडेन्ट	5400	1	–	1
20.	फिजीसिस्ट	5400	1	1	–
21.	नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	5400	1	1	–
22.	लाईब्रेरियन	5400	1	1	–
	योग – श्रेणी ख		**210**	**135**	**78**

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
23.	डिप्टी लाईब्रेरियन	4200	1	–	1
24.	डिप्टी नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	4200	1	2	–
25.	असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	4200	15	–	15
26.	मैट्रन	4200	1	–	1
27.	सिस्टर नर्सिंग	4200	36	16	20
28.	स्टाफ नर्स	4200	310	207	103
29.	पब्लिक हैल्थ नर्स	4200	2	–	2
30.	पब्लिक हैल्थ नर्स/रिहैब्लीटेशन	4200	1	–	1
31.	मेडिकल सोशल वर्कर	4200	6	5	1
32.	सोशल वर्कर	4200	3	4	–
33.	साइकियाट्रिक सोशल वर्कर	4200	2	1	1
34.	चाईल्ड साइक्लोजिस्ट	4200	1	1	–
35.	क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट	4200	1	–	1
36.	फिजियोथिरेपिस्ट	4200	2	2	–
37.	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	4200	2	–	2
38.	वोकेशनल काउन्सलर	4200	1	–	1
39.	सुपरिन्टेन्डेन्ट	4200	1	–	1
40.	टैक्नीशियन	2800	31	20	11
41.	टैक्नीकल असिस्टेंट/टैक्नीशियन				
42.	टैक्नीशियन असिस्टेंट/लैब टैक्नीशियन				
43.	टैक्नीकल असिस्टेंट/ओ0टी0 टैक्नीशियन	2800	16	8	8
44.	रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन	2800	4	5	–
45.	रेडियोग्राफिक टैक्नीशियन	2800	8	6	2
46.	सीनियर टैक्नीशियन (मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रानिक्स, रेफ्रिजरेशन)	2800	4	2	2
47.	ई0सी0जी0 टैक्नीशियन	2800	1	–	1
48.	डेन्टल टैक्नीशियन	2800	4	–	4
49.	टैक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम	2800	1	–	1
50.	स्टैनोग्राफर	2800	16	7	9
51.	स्टैनो कम कम्प्यूटर ऑपरेटर				
52.	स्टैनो टाइपिस्ट				
53.	हैल्थ इन्सपैक्टर/हैल्थ असिस्टेंट (मेल)	2800	1	1	–
54.	हैल्थ इन्सपैक्टर	2800	2	1	1
55.	हैल्थ एजुकेटर	2800	3	2	1
56.	टी0बी0 एण्ड चैस्ट डिजीज हैल्थ विजीटर	2800	2	1	1
57.	स्पीच थैरेपिस्ट	2800	2	1	1
58.	रिफ्रेक्शनिस्ट	2800	1	1	–
59.	वेटरिनरी ऑफिसर	2800	1	1	–
60.	डाइटिशियन	2800	1	1	–

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
61.	स्टेटीशियन	2800	1	–	1
62.	मल्टी रिहैब्लीटेशन वर्कर/एम0आर0डब्ल्यू/टैक्नीशियन/थैरेपिस्ट	2800	4	–	4
63.	सुपरवाईजर	2800	2	–	2
64.	ऑडियोमैट्री टैक्नीशियन	2800	1	1	–
65.	डॉक्यूमेंटलिस्ट	2400	1	1	–
66.	कैटॉलॉगर	2400	1	1	–
67.	लाईब्रेरी असिस्टेंट	2400	4	2	2
68.	ऑडियोविजुअल टैक्नीशियन	2400	1	–	1
69.	टैक्नीशियन इन ऑडियोविजुअल ऐड, फोटोग्राफी एण्ड आर्टिस्ट	2400	2	–	2
70.	टैक्नीशियन (ओ0टी0)	2400	8	–	8
71.	टैक्नीकल असिस्टेंट (ओ0टी0)	2400	8	–	8
72.	जूनियर टैक्नीशियन	2400	2	1	1
73.	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टैक्नीशियन	2000	2	–	2
74.	कोडिंग क्लर्क	2000	4	1	3
75.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2000	1	1	–
76.	नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल स्टाफ	2000	6	2	4
77.	स्टोर कीपर	1900	19	1	18
78.	स्टोर कीपर कम क्लर्क कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	1900	34	23	11
79.	स्टोर कीपर कम रिकार्ड कीपर/स्टोर कीपर				
80.	स्टोर कीपर कम क्लर्क कम कम्प्यूटर ऑपरेटर/स्टोर कीपर				
81.	रिकार्ड क्लर्क				
82.	रिकार्ड कीपर कम क्लर्क कम कम्प्यूटर ऑपरेटर/रिकार्ड क्लर्क				
83.	स्टोर कीपर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर				
84.	स्टोर कीपर कम रिकार्ड क्लर्क				
85.	स्टोर कीपर कम क्लर्क				
86.	रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क	1900	2	3	–
87.	वर्कशाप वर्कर	1900	6	5	1
88.	फोटाग्राफर	1900	1	1	–
89.	डार्क रूम असिस्टेंट	1900	6	–	6
90.	आर्टटिस्ट	1900	1	1	–
91.	मॉड्यूलर	1900	1	1	–
92.	डी0एच0 अटेंडेन्ट	1900	4	2	2
93.	लैब अटेन्डेन्ट	1900	9	–	9

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
94.	वैन ड्राइवर	आउटसोर्स	2	15	–
	योग – श्रेणी ग		**617**	**357**	**277**
95.	लैब अटेन्डेन्ट	आउटसोर्स	38	33	5
96.	वार्ड ब्वाय				
97.	दफ्तरी		10	5	5
98.	चपरासी				
99.	पिऑन				
100.	अटेन्डेन्ट		5	–	5
101.	स्ट्रेचर बियरर		6	–	6
102.	कारपेन्टर		1	–	1
103.	ब्लैक स्मिथ		1	–	1
104.	एनिमल अटेन्डेन्ट		2	–	2
105.	धोबी/वॉशरमैन/वूमेन		12	–	12
106.	पैकर		12	–	12
107.	स्वीपर		27	128	–
	योग – श्रेणी घ		**114**	**166**	**49**
	स्वीकृत पदों का योग (क+ख+ग+घ)		**1005**	**720**	**406**

राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी मे इतर पदों का विवरण

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	एसोसिएट प्रोफेसर, बायोफिजिक्स	8700	–	1	–
2.	बायो मेडिकल इंजीनियर	7600	–	1	–
	योग– श्रेणी क		–	02	–
1.	प्रबन्धक (लेखा/सम्पत्ति एवं परियोजना/कार्मिक/परियोजना/ परचेज)	7600	–	2	–
	योग– श्रेणी ख		–	02	–
1.	उप प्रबन्धक (प्रसार/प्रशिक्षण/लेखा/कार्मिक/परचेज/कार्मिक–मानव संसाधन/स्टेट–इलैक्ट्रीकल)	4800	–	6	–
2.	एकेडमिक सहायक	4800	–	1	–
3.	अवर अभियन्ता (सिविल)	4600	–	1	–
4.	लेखाकार	4600	–	2	–
5.	सहायक लेखाकार	4200	–	1	–
6.	वैयक्तिक सहायक	4600	–	1	–
7.	कार्यालय सहायक	4200	–	2	–
8.	कार्यालय सहायक	2800	–	1	–
9.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक/कनिष्ठ लिपिक	2400	–	4	–
10.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4200	–	1	–

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
11.	हार्डवेयर टैक्नीशियन	4200	–	2	–
12.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	4600	–	1	–
13.	सहायक मेडिकल रिकार्ड ऑफिसर	4200	–	1	–
14.	फ्रन्ट डैस्क एक्जीक्यूटिव	4600	–	2	–
15.	टैक्नीशियन (लिफ्ट/बायोमेडिकल)	4200	–	1	–
16.	इलैक्ट्रीशियन/प्लम्बर/बाइलर प्लांट आपरेटर/ट्यूबवैल फिल्टर ऑपरेटर	2400	–	1	–
17.	टैक्नीशियन (कार्डियोलॉजी)	4800	–	1	–
18.	सीनियर टैक्नीशियन (लैब)/रेडियोलॉजी/कार्डियोलॉजी	4600	–	3	–
19.	डायलिसिस टैक्नीशियन	4200	–	2	–
20.	पी0टी0आई0	(नियत वेतन)	–	1	–
21.	फार्मासिस्ट	(नियत वेतन)	–	13	–
22.	असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर	(नियत वेतन)	–	1	–
23.	गनमैन	(नियत वेतन)	–	4	–
24.	सुपरवाइजर	(नियत वेतन)	–	1	–
25.	फायर टैक्नीशियन	(नियत वेतन)	–	9	–
26.	सिक्योरिटी गार्ड्स	(नियत वेतन)	–	81	–
	योग – श्रेणी ग			**144**	
	इतर पदों का योग (श्रेणी क+ख+ग)			**148**	
	महायोग (स्वीकृत एवं इतर पद)		**1005**	**868**	

ख) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	प्राचार्य	10000	1	1	–
2.	चिकित्सा अधीक्षक	6600	1	1	–
3.	प्रोफेसर	8700	25	16	9
4.	एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	7600	30	11	19
	योग– श्रेणी क		**57**	**29**	**28**
5.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर/लैक्चरर	5400	41	37	3
6.	ट्यूटर/रजिस्ट्रार/सीनियर रजिडेन्ट	5400	48	6	42
7.	इपिडिमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	1	–	1

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
8.	स्टैटीशियन कम असिस्टेन्ट प्रोफेसर	5400	1	1	1
9.	मेडिकल ऑफिसर ऑफ हैल्थ कम लैक्चरर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर	5400	2	–	2
10.	लेडी मेडिकल ऑफिसर	5400	2	–	2
11.	एन्टीनेटल मेडिकल ऑफिसर कम लैक्चरर कम अस्टिेन्ट प्रोफेसर	5400	1	–	1
12.	मेटरनिटी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कम लैक्चरर/असि0 प्रोफेसर	5400	1	–	1
13.	फिजिसिस्ट	5400	1	–	1
14.	कैजूएल्टी मेडिकल ऑफिसर	5400	4	–	4
15.	जूनियर रेजिडेन्ट	नियत वेतन	85	85	–
16.	लाइब्रेरियन	5400	1	–	1
17.	मेडिकल रिकार्ड ऑफिसर	5400	1	–	1
18.	नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	5400	1	–	1
	योग – श्रेणी ख		**190**	**129**	**61**
19.	मैट्रन	4200	1	–	1
21.	डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	4200	1	–	1
22.	सहायक मैट्रन/ए0एन0एस0	4200	10	1	9
23.	सिस्टर इंचार्ज	4200	41	12	29
24.	स्टाफ नर्स	4200	300	86	214
25.	मेडिकल सोशल वर्कर	4200	5	5	–
26.	सोशल वर्कर	4200	3	1	2
27.	साइक्यट्रिक सोशल वर्कर	4200	1	–	1
28.	पब्लिक हैल्थ नर्स	4200	3	–	3
29.	क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट	4200	1	–	–
30.	फिजियोथेरेपिस्ट	4200	2	–	–
31.	डिप्टी लाइब्रेरियन	4200	1	–	1
32.	वेकेशन काउन्सलर	4200	1	–	1
33.	आकुपेशन थेरेपिस्ट	4200	2	–	2
34.	चाइल्ड साइक्लोजिस्ट	4200	1	–	1
35.	वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेंट	4200	1	–	1
36.	डाईटीशियन	2800	1	–	1
37.	डेन्टल टैक्नीशियन	2800	4	–	4
38.	टैक्नीशियन फार ऐनिमल आपरेशन	2800	1	–	1
39.	वैटरिनरी आफिसर	2800	1	–	1
40.	फार्मेसी		–	13	–
41.	रेडियोग्राफिक्स टैक्नीशियन	2800	8	5	8
42.	रेडियोथिरेपी टैक्नीशियन	2800	2	–	2
43.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2		–	2	–

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
44.	ई0सी0जी0 टैक्नीशियन	2800	1	–	1
45.	ओ0टी0 टैक्नीशियन	2800	–	2	–
46.	हैल्थ इन्सपेक्टर	2800	3	2	1
47.	डिजिज हैल्थ विजिटर	2800	2	1	1
48.	रेफ्रेक्शनिस्ट	2800	1	3	1
49.	स्टेटिस्टिशियन	2800	1	–	1
50.	टैक्नीशियन असिस्टेंट	2800	8	–	8
51.	टैक्नीशियन	2800	8	–	8
52.	लैब टैक्नीशियन/लैब असिस्टेंट	2800	47	47	9
53.	स्पीच थैरेपिस्ट	2800	2	1	1
54.	मल्टी रिहैब्लीटेशन टैक्नी0/वर्कर	2800	4	3	2
55.	आडियोमेटरी टैक्नीशियन	2800	1	1	–
56.	आशुलिपिक	2800	15	12	4
57.	हैल्थ एजुकेटर	2800	3	–	3
58.	सीनियर टैक्नीशियन	2800	4	–	4
59.	प्रवर सहायक		–	2	–
60.	ऑडियो विजुअल टैक्नीशियन	2400	3	–	3
61.	डाक्युमेन्टलिस्ट	2400	1	–	1
62.	कैटेलोगर	2400	1	–	1
63.	लाइब्रेरी असिस्टेंट	2400	4	2	4
64.	जूनियर टैक्नीशियन	2400	2	–	2
65.	सहायक लेखाकार		–	2	–
66.	प्रोथेटिक एड आर्थोटिक टैक्नी0	2400	2	–	2
67.	नर्सिंग पैरा मेडिकल स्टॉफ	2000	6	–	6
68.	डार्क रूम सहायक	1900	6	2	5
69.	कनिष्ठ सहायक		0	7	0
70.	रिकार्ड क्लर्क/स्टोर कीपर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/कनिष्ठ सहायक	1900	60	75	28
71.	फोटोग्राफर	1900	1	1	1
72.	आर्टिस्ट माडलर	1900	2	–	2
73.	लाउण्ड्री सुपरवाइजर		2	–	2
74.	वर्कशाप वर्कर		6	–	6
75.	प्लास्टर टैक्नीशियन		–	1	–
76.	इलैक्ट्रीशियन		–	7	–
77.	आई0टी0 सुपरवाइजर		–	1	–
78.	समन्वयक		7	1	–
79.	डायलिसिस टैक्नीशियन		–	1	–
80.	वैक्सीनेटर		–	1	–
81.	वाहन चालक	आउटसोर्स	2	4	1

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
	योग – श्रेणी ग		**589**	**304**	**388**
82.	लैब अटैन्डेन्ट		29	19	29
83.	वार्ड ब्वाय		14	48	14
84.	अटैन्डेन्ट/हैल्पर		5	22	5
85.	ऐनिमल अैन्डेन्ट		2	2	2
86.	चपरासी		6	11	1
87.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		4	–	4
88.	दफ्तरी		4	–	4
89.	धोबी/वाशरमैन/वोमेन		12	–	12
90.	पैकर		12	–	12
91.	स्ट्रैचर वियरर		6	–	6
92.	कारपेन्टर		1	2	1
93.	ब्लैक स्मिथ		1	–	1
94.	स्वीपर		30	37	7
95.	डी0एच0ए0		4	3	2
96.	टेलर		–	2	–
97.	प्लम्बर		–	2	–
98.	गार्ड		–	80	–
99.	माली		–	8	–
100.	केयर टेकर		–	5	–
101.	लिफ्ट ऑपरेटर		–	1	–
102.	इन्टरकॉम ऑपरेटर		–	1	–
103.	वैल्डर		–	1	–
104.	प्लास्टर असिस्टेंट		–	1	–
105.	जनरेटर ऑपरेटर		–	1	–
	योग – श्रेणी घ		**130**	**246**	**100**
	महायोग		**966**	**708**	**577**

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाल राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल के अन्य पद (चिकित्सा विभाग से सृजित)

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	एसोसिएट प्रोफेसर		10	5	5
2.	चीफ फार्मासिस्ट		07	07	–
3.	फार्मेसिस्ट		09	09	–
4.	एन0एन0एस0		03	03	–
5.	सिस्टर		53	18	35
6.	स्टाफ नर्स		61	34	27
7.	लैब टैक्नीशियन		08	04	04

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
8.	फिजियोथेरेपिस्ट		03	03	–
9.	नेत्र सहायक		01	01	–
10.	प्रशासनिक अधिकारी		02	02	–
11.	आशुलिपिक		01	01	–
12.	प्रवर सहायक		01	01	–
13.	कनिष्ठ सहायक		01	04	–
14.	इलैक्ट्रीशियन		01	01	–
15.	प्लम्बर		01	01	–
16.	कारपेन्टर		01	01	–
17.	वाहन चालक		02	02	–
18.	सफाई कर्मचारी		06	05	01
19.	चतुर्थ श्रेणी		56	45	11
	कुल योग		**227**	**147**	**83**

ग) राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	प्रधानाचार्य/डीन	10000	1	1	–
2.	प्रोफेसर	8700	22	4	18
3.	वित्त नियंत्रक		1	1	–
4.	एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	7600	29	15	14
5.	मेडिकल सुपरिटेंडेन्ट	6600	1	1	–
	श्रेणी क योग		54	22	32
6.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर/लैक्चरर	5400	49	30	19
7.	ट्यूटर/डिमोन्सटेटर		29	26	3
8.	इपिडिमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेन्ट प्रोफेसर	5400	1	–	1
9.	स्टैटीशियन कम असिस्टेंट प्रोफेसर	5400	1	1	–
10.	मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कम लेक्चरर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर	5400	1	1	–
11.	मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ कम लैक्चर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर	5400	2	–	2
12.	लेडी मेकिल ऑफिसर	5400	2	–	2
13.	रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेन्ट		34	16	18
14.	जूयिनर रेजिडेन्ट		55	37	18
15.	एन्टीनेटल मेडिकल ऑफिसर कम लैक्चरर कम असिस्टेन्ट प्रोफेसर	5400	1	–	1
16.	फिजीसिस्ट	5400	1	–	1
17.	कैजुएल्टी मेडिकल ऑफिसर	5400	4	1	3

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
18.	नर्सिंग सुपरिटेन्डेंट	5400	1	1	–
19.	मेडिकल रिकार्ड ऑफिसर	5400	1	–	1
20.	लाईब्रेरियन	5400	1	–	1
	श्रेणी ख योग		**183**	**113**	**70**
21.	डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	4200	5	–	5
22.	असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट	4200	12	1	11
23.	मैट्रन	4200	1	–	1
24.	सिस्टर नर्सिंग	4200	45	–	45
25.	स्टाफ नर्स	4200	309	6	303
26.	पब्लिक हैल्थ नर्स	4200	3	–	3
27.	स्टाफ नर्स (सी0एस0एस0डी0)	4200	4	3	1
28.	डिप्टी लाईब्रेरियन	4200	1	–	1
29.	मेडिकल सोशल वर्कर	4200	6	1	5
30.	साइकियोट्रिक सोशल वर्कर	4200	2	2	–
31.	सोशल वर्कर (पीडिया, गाइनी)	4200	3	3	–
32.	क्लीनिकल/चाईल्ड साइक्लोजिस्ट	4200	2	–	2
33.	फिजियोथेरेपिस्ट	4200	2	–	2
34.	ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट	4200	2	–	2
35.	वोकेशन काउन्सलर	4200	1	–	1
36.	सुपरिटेन्डेन्ट (सेंट्रल वर्कशाप)	4200	1	–	1
37.	वेटेरिनरी ऑफिसर	2800	1	–	1
38.	हैल्थ एजुकेटर	2800	3	1	2
39.	हैल्थ इन्सपैक्टर/हैल्थ असिस्टेन्ट	2800	3	–	3
40.	टी0बी0 एण्ड चेस्ट डिजीज हैल्थ विजिटर	2800	2	1	1
41.	स्पीच थेरेपिस्ट	2800	2	1	1
42.	स्टेटिस्टीशियन	2800	1	–	1
43.	टैक्नीशियन असिस्टेन्ट/टैक्नीशियन/ई0सी0जी0 टैक्नीशियन/रेडियोथेरेपी टै0/रेडियोग्राफिक्स टै0/सीनियर टै0/डेन्टल टै0/ऑडियोमैट्री टै0/टैक्नीशियन फार एनिमल ऑपरेशन रूम/लैब टैक्नीशियन/ओ0टी0 टैक्नीशियन	2800	86	36	50
44.	मल्टी रिहैब्लीटेशन वर्कर/एम0आर0डब्ल्यू0	2800	4	–	4
45.	स्टैनो कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	2800	17	2	15
46.	स्टाफ नर्स (नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल स्टाफ)	2000	6	3	3
47.	रिफ्रेक्शनिस्ट	2800	1	–	1

क्र0	पद का नाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
48.	डाइटिशयन	2800	1	1	–
49.	सुपरवाइजर (लाउण्ड्री)	2800	2	–	2
50.	लाईब्रेरी असिस्टेन्ट	2400	4	3	1
51.	कैटालॉगर	2400	1	1	–
52.	डॉक्यूमेंटलिस्ट	2400	1	1	–
53.	ऑडियोविजुअल टै0/ टैक्नीशियन इन ऑडियोविजुअल एण्ड फोटोग्राफी एण्ड आर्टिस्ट	2400	3	3	–
54.	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टैक्नीशियन	2000	2	–	2
55.	लिपिक संवर्ग (स्टोर कीपर कम क्लर्क कम कम्प्यूटर ऑपरेटर/रिकार्ड कीपर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/रिशेपसनिस्ट कम क्लर्क, कोडिंग क्लर्क)	1900	60	53	7
56.	डी0एच0 अटेन्डेन्ट	1900	4	2	2
57.	वर्कशाप वर्कर	1900	6	–	6
58.	फोटोग्राफर	1900	1	1	–
59.	डार्करूम असिस्टेन्ट	1900	6	–	6
60.	आर्टिस्ट	1900	1	–	1
61.	मॉड्यूलर	1900	1	1	–
62.	वैन ड्राईवर	आउटसोर्स	2	6	4
	श्रेणी ग योग		**620**	**132**	**488**
63.	कारपेन्टर		1	–	1
64.	ब्लैक स्मिथ		1	–	1
65.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (लैब अटेन्डेन्ट, वार्ड ब्वाय, दफ्तरी, चपरासी, अटेन्डेन्ट, स्टेचर बियरर)	आउटसोर्स	68	79	11
66.	एनिमल अटेन्डेन्ट		2	1	1
67.	धोबी/वाशरमेन/वूमेन		12	–	12
68.	पैकर		12	–	12
69.	स्वीपर		27	–	27
70.	सुरक्षा कर्मी		99	93	6
	श्रेणी घ योग		**222**	**173**	**49**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**1079**	**440**	**639**

तीनों राजकीय मेडिकल कॉलेजों का वर्ष 2015–16 में वेतन/भत्तों सम्बन्धी व्यय निम्नानुसार अवगत कराया गया है–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	2015–16 का वेतन/भत्तों सम्बन्धी व्यय
1.	मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	लगभग रू0 39.45 करोड़
2.	मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	लगभग रू0 35.03 करोड़
3.	मेडिकल कॉलेज, देहरादून	लगभग रू0 18.86 करोड़
	योग	**93.34 करोड़**

तीनों मेडिकल कालेजों में सभी पद भरे होने की दशा में वेतन/भत्तों सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 141.42 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतनमान की स्थिति में लगभग रू0 163 करोड़ होता है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न ईकाईयों में पदों सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

क्र0	संस्थान का नाम	श्रेणी क			श्रेणी ख			श्रेणी ग			श्रेणी घ		
		स्वी0	कार्य0	रि0	स्वी0	कार्य0	रि0	स्वी0	कार्य0	रि0	स्वी0	कार्य0	रि0
1.	निदेशालय	07	–	07	02	01	01	14	01	13	05	–	05
2.	हे0न0ब0 वि0वि0	03	01	02	06	–	06	35	15	20	21	10	11
3.	रा0मे0का0, श्रीनगर	57	32	25	216	131	85	762	492	270	210	200	10
4.	रा0मे0का0, हल्द्वानी	64	60	04	211	137	74	612	276	336	118	40	78
5.	रा0मे0का0, देहरादून	76	61	15	61	22	39	376	29	347	175	27	148
6.	रा0मे0का0, अल्मोड़ा	01	–	01	–	–	7	02	–	02	01	–	01
7.	स्टेट नर्सिंग कॉलेज, देहरादून	06	02	04	36	29	07	18	18	–	33	31	02
8.	स्टेट नर्सिंग स्कूल, देहरादून	01	–	01	21	–	21	04	03	01	09	06	03
9.	नर्सिंग कालेज, टिहरी	02	–	02	12	–	12	38	–	38	10	–	10
10.	नर्सिंग कालेज, चमोली	02	–	02	12	–	12	38	–	38	10	–	10
11.	नर्सिंग कालेज, पौड़ी	02	–	02	12	–	12	38	–	38	10	–	10
12.	नर्सिंग कालेज, पिथौरागढ़	02	–	02	12	–	12	38	–	38	10	–	10
13.	नर्सिंग कालेज, अल्मोड़ा	02	–	02	12	–	12	38	–	38	10	–	10
14.	नर्सिंग स्कूल, नैनीताल	–	–	–	01	–	01	16	–	16	07	–	07
15.	नर्सिंग स्कूल, हरिद्वार, रोशनाबाद	02	–	02	–	–	–	26	–	26	09	–	09
16.	नर्सिंग कालेज, हल्द्वानी	04	–	04	16	–	16	12	–	12	16	–	16
	महायोग	**231**	**156**	**75**	**630**	**320**	**310**	**2067**	**834**	**1233**	**654**	**314**	**340**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त चार राजकीय मेडिकल कॉलेज, सात नर्सिंग कालेज तथा तीन नर्सिंग स्कूल हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा अभी कदाचित कार्यशील नहीं है और इसमें मात्र चार पद स्वीकृत है जो सभी रिक्त हैं। मेडिकल कालेज देहरादून में कदाचित अगले

वर्षों में मानकों के दृष्टिगत और पद सृजित किये जायेंगे। नर्सिंग कालेजों में स्टेट नर्सिंग कालेज, देहरादून के अतिरिक्त शेष 06 नर्सिंग कालेज क्रमशः टिहरी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी भी कार्यशील नहीं है और इनके लिए स्वीकृत सभी पद रिक्त हैं। कदाचित इनका भवन निर्मित होना लम्बित है। नर्सिंग स्कूल नैनीताल व हरिद्वार भी कार्यशील नहीं है व इनमें स्वीकृत सभी पद रिक्त हैं जबकि नर्सिंग स्कूल देहरादून में भी श्रेणी 'क' व श्रेणी 'ख' के सभी पद रिक्त हैं। दिनांक 01 अगस्त, 2017 को दी गई सूचना अनुसार नर्सिंग कालेजों व नर्सिंग स्कूलों में पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है जिससे स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ प्रतीत होता है:–

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	100	73	23
2.	स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	34	24	10
3.	राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग, रोशनाबाद, हरिद्वार।	37	35	02
4.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, सुरसिंगधार, नई टिहरी।	64	39	23
5.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, गोपेश्वर, चमोली।	64	01	63
6.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, पौड़ी।	63	3	61
7.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, पिथौरागढ़।	64	03	61
8.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा।	63	03	61
9.	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, हल्द्वानी।	48	23	25
10.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, बी0डी0 पाण्डे, नैनीताल	24	11	13

विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम यह सूचना प्रकाश में आई कि श्रीनगर एवं अल्मोड़ा मेडिकल कालेजों का संचालन सेना को सौंपने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल कालेजों, नर्सिंग कालेजों एवं नर्सिंग स्कूलों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि निजी क्षेत्र में ये संस्थाएं स्थापित व संचालित हैं। एक सूचना अनुसार राज्य में कदाचित 27 नर्सिंग संस्थान निजी क्षेत्र में हैं।

उपलब्ध सूचनाओं व जानकारी के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है–

1. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक के 02 के स्थान पर 01 ही पद रखा जा सकता है। कनिष्ठ सहायक के 03 पद, प्रवर सहायक के 02 पद एवं प्रधान सहायक का 01 पद होने के दृष्टिगत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 04 पदों का औचित्य नहीं है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है।
2. आगे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/गठन राजकीय क्षेत्र में न किया जाय। साथ ही नर्सिंग/स्कूलों व कॉलेजों का भी गठन राजकीय क्षेत्र में न किया जाय। कदाचित मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 50 लाख जनसंख्या का मानक हैं। इस आधार पर भी

आगे किसी मेडिकल कालेज की स्थापना करने एवं संचालित करने का औचित्य नहीं प्रतीत होता। कदाचित मेडिकल कालेज संचालन का आवर्तक व्यय भार भी लगभग रू0 80–100 करोड़ तक हो सकता है जिसके दृष्टिगत भी अधिक संख्या में मेडिकल कालेज चलाए जाने के लिए वित्तीय व्यवस्था करना भी चुनौतीपूर्ण होगा। नये मेडिकल कालेज खोलने के स्थान पर वर्तमान कालेजों में सीटें बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश से भी वार्ता/समन्वय कर वर्तमान मेडिकल कालेज में से एक उन्हें संचालन हेतु हस्तान्तरित करने पर विचार किया जा सकता है।

3. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्यरत कार्मिकों तथा बिना पद स्वीकृति के कार्यरत कामिकों का समायोजन अन्यत्र किया जाय एवं भविष्य में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कोई भर्ती न की जाय तथा सफाई, सुरक्षा, बागवानी आदि विभिन्न वांछित सेवाओं की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से की जाय।

4. वर्तमान में चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य कदाचित समन्वय यथोचित नहीं है। उचित होगा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग तथा आयुष व आयुष शिक्षा विभाग एक ही मंत्रालय तथा एक ही प्रमुख सचिव/सचिव के अधीन रखा जाय।

5. मेडिकल कालेजों के संचालन में कुछ हद तक लचीलापन/स्वतंत्रता हास्पीटल मैनेजमेन्ट कमेटी को धन खर्च करने का अधिकार देकर किया जा सकता है।

(3) आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं विभाग

विभाग अंतर्गत निदेशालय व अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर शेष अन्य सृजित पद 1944 तथा कार्यरत 1489 हैं। चतुर्थ श्रेणी के कुल 917 पद सृजित बताए गये हैं जिसके सापेक्ष कार्यरत 912 हैं। निदेशालय में अनुसेवकों के आउटसोर्सिंग वाले 11 पद इसमें सम्मिलित हैं जिसमें 06 कार्यरत (उपनल से) होना सूचित किया है। विभागीय ढांचे में सृजित, भरे व रिक्त पदों की सूचना निम्नवत् बताई गई है–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/10000	01	–	01	कार्यवाहक
2.	अपर निदेशक/8700	02	01	01	01 पद प्रशासन/ नियोजन तथा 01 पद शिक्षा, शोध, जड़ी–बूटी संवर्द्धन

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
3.	संयुक्त निदेशक/7600	05	01	04	ए0सी0पी0 से ग्रेड वेतन 8700
4.	जिला आयुष एवं यूनानी अधिकारी/7600	13	03	10	
5.	अपर जिला आयुष एवं यूनानी अधि0/6600	08	05	03	
6.	चिकित्सा अधीक्षक/6600	01	01	—	
7.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/6600	34	31	03	दो पद निदेशालय में (ए0सी0पी0 से ग्रेड वेतन 7600)
8.	चिकित्साधिकारी/5400	853	696	157	90 पद सामु0स्वा0/37 संविदा पर
9.	चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृ0 चिकि0)/4200	01	—	01	
10.	संयुक्त निदेशक फार्मेसी/7600	01	—	01	
11.	सहायक औषधि नियंत्रक/6600	01	—	01	
12.	अधीक्षक फार्मेसी/6600	01	—	01	
13.	प्रभारी अधि0 फार्मेसी/6600	10	06	—	01 पद निदेशालय में
14.	चीफ फार्मासिस्ट/5400	26	11	15	
15.	प्रबंधक फार्मेसी/5400	01	—	01	
16.	फार्मासिस्ट/4200	765	556	209	
17.	लेखाधिकारी/5400	01	—	01	वित्त संवर्ग
18.	सहायक लेखाधिकारी/5400	01	01	—	—तदैव—
19.	लेखाकार/4200	01	—	01	
20.	सहा0 लेखाकार/2800	02	—	02	
21.	मुख्य प्रशा0 अधिकारी/5400	01	—	01	
22.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	08	06	02	02 पद निदेशालय में
23.	प्रशा0 अधि0/4600	08	12	04	
24.	प्रधान सहायक/4200	14	13	01	निदेशालय में 03 पद
25.	वरिष्ठ सहायक/2800	21	18	03	04 पद निदेशालय में
26.	कनिष्ठ सहायक/2000	24	24	—	05 पद निदेशालय में

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
27.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1/4600	01	01	–	निदेशालय में
28.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	02	–	02	निदेशालय में
29.	आशुलिपिक ग्रेड–1	01	–	01	निदेशालय में
30.	आशुलिपिक ग्रेड–2	02	01	01	निदेशालय में
31.	औषधि निरीक्षक/4200	01	–	01	निदेशालय में
32.	वैज्ञानिक अधिकारी/5400	04	01	03	अधीनस्थ कार्यालय में
33.	वैज्ञानिक सहायक	01	–	01	अधीनस्थ कार्यालय में
34.	सांख्यकी सहायक/4200	01	–	01	
35.	संगणक/आंकिक/2400	01	–	01	
36.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/4200	01	–	01	निदेशालय में
37.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर/2400	01	–	01	अधीनस्थ कार्यालय
38.	सिस्टर/4200	01	–	01	अधीनस्थ कार्यालय
39.	स्टाफ नर्स/4200	19	19	–	अधीनस्थ कार्यालय
40.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक/2400	13	–	13	अधीनस्थ कार्यालय
41.	पंचकर्म सहायक/2400	76	76	–	अधीनस्थ कार्यालय
42.	फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट/4200	01	–	01	अधीनस्थ कार्यालय
43.	जूनियर कैमिस्ट/2800	01	–	01	अधीनस्थ कार्यालय
44.	एनालिस्ट/2400	02	–	02	अधीनस्थ कार्यालय
45.	लैब टैक्नीशियन/2800	02	–	02	अधीनस्थ कार्यालय
46.	मशीन मैन/ऑपरेटर/1900	04	01	03	अधीनस्थ कार्यालय
47.	विद्युतकार/1900	02	02	–	अधीनस्थ कार्यालय
48.	वाहन चालक/2000	03	03	–	01 निदेशालय में
49.	अनुसेवक (चतुर्थ श्रेणी)/1800	917	912	05	19 पद निदेशालय में (11 पद आउटसोर्सिंग सहित)
	योग	**2861**	**2401**	**460**	

विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 111.39 करोड़ सूचित किया गया है तथा अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य व्यय लगभग रू0 6.55 करोड़ है। विभाग का

कार्यों सहित कुल व्यय लगभग रू0 143.37 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में 2015–16 में वेतन व्यय लगभग रू0 132.73 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 153 करोड़ होता है। वार्षिक वेतनवृद्धि, महंगाई, भत्तावृद्धि एवं प्रोन्नति/ए0सी0पी0 के फलस्वरूप अगले वर्षों में इसमें और वृद्धि होगी।

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत विचारणीय बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. कदाचित कई आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का संचालन एलोपैथी चिकित्सालय परिसरों से भिन्न पृथक स्थानों पर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आयुष व एलोपैथी चिकित्सालयों के स्थान एक ही परिसर में रखने की संयुक्त नीति अपनाई जाय जिससे जनता के समय की बचत सहित उन्हें एक ही परिसर में सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही निचले स्तर के ऐसे चिकित्सालय जो एलोपैथी चिकित्सकों की उपलब्धता न होने के कारण संचालनरत न होने अथवा बंद की स्थिति में है उनमें कम से कम आयुष चिकित्सा सुविधा ही उपलब्ध हो सके। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या सीमित की जाय। उल्लेखनीय है कि कतिपय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिकित्सकीय सेवाएं देने योग्य नहीं हैं।
2. जनपद में जिला आयुष एवं यूनानी अधिकारी के पद के साथ–साथ अपर जिला आयुष एवं यूनानी अधिकारी का पद रखने का औचित्य नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित किये जा सकते हैं। होम्योपैथी की तरह जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी का पद 6600 ग्रेड वेतन में रखा जाय एवं उस पद पर जिला मुख्यालय स्थित आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय के चिकित्सक पर ही यह दायित्व रखते हुए चिकित्सकों के अन्य पद तदानुसार समायोजित/सीमित किये जाने पर विचार किया जाय।
3. चिकित्सा अधीक्षक का एकमात्र पद समाप्त किया जाय।
4. निदेशालय में अपर निदेशक के दो पद के स्थान पर एक ही पद रखा जाय। अपर निदेशक शिक्षा/शोध/जड़ी–बूटी संवर्द्धन सम्बन्धी कार्य हेतु पृथक अपर निदेशक पद रखने की आवश्यकता/औचित्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि शोध व शिक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु विश्वविद्यालय हैं जबकि जड़ी–बूटी के कार्य हेतु अलग संस्थान/विभाग हैं जिनसे यथोचित समन्वय रखा जाय।
5. निदेशालय में संयुक्त निदेशक के 05 पद के स्थान पर मात्र 02 पद रखना उचित होगा।

6. निदेशालय में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी पद समाप्त किया जाय तथा निदेशालय में संयुक्त निदेशक फार्मेसी व प्रभारी अधिकारी फार्मेसी दोनों पदों के स्थान पर एक ही पद होना चाहिए, कदाचित संयुक्त निदेशक फार्मेसी का पद समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सांख्यिकी सहायक, संगणक/आंकिक, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर आदि पद समाप्त किये जायें। उल्लेखनीय है कि आधारभूत आंकड़ों सम्बन्धी कार्य एलोपैथी चिकित्सा सम्बन्धी चिकित्सा–स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है जिनसे यथाआवश्यक आंकड़े प्राप्त कर उपयोग किया जा सकता है।

8. विद्युतकार, मशीन मैन/ऑपरेटर, वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक पद मृतक संवर्ग करते हुए रिक्त पद समाप्त किये जायें तथा कार्यरत कार्मिकों को अन्य विभाग, जहां उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके, में समायोजित किया जाने पर विचार किया जाय।

9. प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के 05 या 06 पद, चीफ फार्मासिस्ट के 10 या 12 पद ही रखने पर विचार किया जाय।

10. चिकित्साधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का एकल पद सहित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक के सभी पद समाप्त किये जायें।

11. अधीक्षक फार्मेसी का एकल पद समाप्त किया जाय। फार्मेसी तथा आयुर्वेदिक दवा बनाने की इकाई व सम्बन्धित पदों को समाप्त करने पर विचार किया जाय। उल्लेखनीय है कि दवाएं बाजार में आसानी से उपलब्ध रहती हैं।

12. लिपिक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के साथ वास्तविक आवश्यकतानुसार न्यूनतम पद रखे जायें।

13. वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक संवर्ग में पदों की संख्या व स्टाफिंग पैटर्न लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय।

14. निदेशालय में आउटसोर्सिंग वाले पृथक अनुसेवक पद समाप्त किये जायें तथा अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पद संख्या सीमित की जाय।

(4) होम्योपैथी चिकित्सा विभाग

होम्योपैथी पद्धति के कुल 110 चिकित्सालय राज्य में बताये गये हैं जिसमें चिकित्सकों के स्वीकृत पद 119 सूचित किये गये हैं। कार्यरत चिकित्सक 109 तथा रिक्त पद 10 हैं। भेषजिकों के 110 पदों के सापेक्ष 109 कार्यरत व 01 रिक्त सूचित किया गया है। कार्यरत

कार्मिक के सापेक्ष वेतन सम्बन्धी व्यय 2015–16 में लगभग रू0 16.72 करोड़ है तथा अन्य सभी मदों सहित कुल व्यय लगभग रू0 18.65 करोड़ रहा है। सभी पद भरे हुए होने की दशा में वर्ष 2015–16 का वेतन व्यय लगभग रू0 19.03 करोड़ हेाता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 21.90 करोड़ होता और वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता वृद्धि, ए0सी0पी0 व प्रोन्नति के फलस्वरूप इस व्यय भार के उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। विभागीय ढांचे में पदों की सूचना निम्नवत् बताई गई है:–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	01	–	01	कार्यवाहक
2.	संयुक्त निदेशक/7600	02	01	01	
3.	उपनिदेशक/6600	02	02	–	
4.	जिला हो0चि0अधि0/6600	13	13	–	
5.	चिकित्साधिकारी/5400	119	110	09	
6.	भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट)	01	01	–	
7.	भेषजिक	110	109	01	
8.	लेखाधिकारी	01	–	01	
9.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	01	–	01	
10.	लेखा परीक्षक	01	–	01	
11.	लेखाकार	01	01	–	
12.	सहायक लेखाकार	01	–	01	
13.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	01	–	01	
14.	आशुलिपिक ग्रेड–1	01	–	01	
15.	आशुलिपिक ग्रेड–2	03	01	02	
16.	प्रशासनिक अधि0 ग्रेड–2	02	–	02	
17.	मुख्य सहायक	07	01	06	05 पद जनपद में
18.	प्रवर सहायक	09	–	09	07 पद जनपद में
19.	कनिष्ठ सहायक	16	15	01	13 पद जनपद
20.	अन्वेषक कम संगणक	01	–	01	प्रतिनियुक्ति
21.	वाहन चालक	15	02	13	13 पद जनपद में

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
					(आउटसोर्सिंग)
22.	चपरासी	07	07	–	जनपद में 3 (आउटसोर्सिंग)
23.	अर्दली	08	08	–	जनपद में (आउटसोर्सिंग)
24.	स्वच्छक कम चौकीदार	29	29	–	जनपद में(आउटसोर्सिंग)
25.	वार्ड ब्वॉय	76	76	–	जनपद में (आउटसोर्सिंग)
योग		**428**	**376**	**52**	

जनपद में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2, मुख्य सहायक तथा निदेशालय स्तर पर कनिष्ठ सहायक सहित दोनों स्तर पर वाहन चालक, चपरासी, अर्दली, स्वच्छक कम चौकीदार, वार्ड ब्वॉय के पदों की पूर्ति आउट सोर्सिंग से किया जाना सूचित किया गया है।

प्राप्त सूचना के क्रम में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. आयुष एवं एलोपैथी पद्धति के चिकित्सालयों का स्थान नियत करने की एक सामूहिक नीति इस प्रकार बनाई जाय कि एक ही स्थान पर ही सभी पद्धति की सरकारी चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध रहें। कदाचित वर्तमान में कई स्थानों में होम्योपैथी एवं/अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिल्कुल एकल रूप से संचालनरत हैं। वर्तमान स्वीकृत होम्योपैथी चिकित्सालयों की संख्या को फ्रीज करते हुए जो चिकित्सालय पृथक स्थान पर एकल रूप में चल रहे हैं उन्हें एलोपैथी पद्धति के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/एलोपैथी चिकित्सालयों के परिसर में ही संचालित किया जाय। इससे जनता के समय की बचत के साथ किसी न किसी पद्धति की चिकित्सा सेवा प्राप्त हो सकेगी।यह भी सोचा जा सकता है कि जब तक एलोपैथी चिकित्सालयों के लिए पर्याप्त चिकित्सक आदि की व्यवस्था पूर्ण नहीं होती और इस दशा में वर्तमान स्थापित कई एलोपैथी चिकित्सालय फिलहाल कुछ समय तक या तो संचालित नहीं किये जा सकते अथवा उनका संचालन बंद कर दिया जाता है (एलोपैथी चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में की गई संस्तुति अनुसार) और वहां चिकित्सालय संचालनरत रखना अन्यथा अपरिहार्य है तो वहां एलोपैथी चिकित्सालय के परिसरों में होम्योपैथी/आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सालयों का संचालन उनके वर्तमान एकल स्थान से परिवर्तन (relocate) कर किया जाय।

2. ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक के पद समाप्त किये जायें क्योंकि आडिट विभाग पृथक बन जाने से इनका औचित्य नहीं है।

3. अन्वेषक कम संगणक का पद समाप्त किया जाय क्योंकि एकल पद होने तथा चिकित्सा विभाग में इस हेतु यथोचित व्यवस्था विद्यमान है जहां से आंकड़े प्राप्त कर उपयोग किये जा सकते हैं।

4. संयुक्त निदेशक व उप निदेशक स्तर पर एक पद ही रखा जाय।

5. कुल चिकित्सालयों में से जिला मुख्यालय स्थित एक होम्योपैथी चिकित्सक को जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी का कार्य दिया जाय और तदानुसार 13 पद समायोजित करते हुए संख्या कम कर दी जाय। जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में ही होम्योपैथी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय रखने पर विचार किया जा सकता है।

(5) विद्यालयी शिक्षा विभाग

विद्यालयी शिक्षा विभाग पदों की संख्या व वेतन व्ययभार की दृष्टि से कदाचित सबसे बड़ा है। इसमें कुल 92766 पद स्वीकृत एवं 66057 पद भरे बताए गये हैं। बजट साहित्य खण्ड 6 अनुसार 01 अप्रैल, 2015 को विभाग में कुल 91853 पद स्वीकृत एवं 64719 पद कार्यरत इंगित हैं। दूसरी ओर एक अन्य सूचना में कुल स्वीकृत पद 83386 बताए गये एवं अनुदानित विद्यालयों में स्वीकृत पद 11382 सूचित किये हैं। अवलोकनीय है कि राजकीय विभागों में कुल स्वीकृत व कार्यरत पदों के सापेक्ष विद्यालयी शिक्षा में कुल स्वीकृत पद व कार्यरत राजकीय कार्मिक क्रमशः लगभग 31–31 प्रतिशत हैं। उक्त राजकीय पदों/कर्मचारी संख्या के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। विद्यालयी शिक्षा विभाग का वेतन व्यय भार (वित्तीय वर्ष 2015–16) रू0 4510.55 करोड़ है। राजकीय विभागों के 2015–16 के वेतन सम्बन्धी कुल व्यय का लगभग 50 प्रतिशत व्यय विद्यालयी शिक्षा विभाग का वेतन व्यय है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों को उच्चीकृत वेतनमान दिया जाता है एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों हेतु वेतन के लिए वर्ष 2014–15 में लगभग रू0 488 करोड़ का अनुदान दिया गया है। विभाग के पूर्ण राजकीय पद भर दिये जाने की दशा में 2015–16 का वेतन सम्बन्धी कुल लगभग 3212 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार होता और 2015–16 की दरों में भी सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार सभी राजकीय पद भर दिये जाने पर वेतन व्यय भार लगभग रू0 7400 करोड़ होगा जो वार्षिक वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता दर वृद्धि व प्रोन्नति से और भी बढ़ेगा।

विभाग के अंतर्गत कार्यालयों एवं विद्यालयों का विवरण व संख्या तथा उनमें पदों की स्थिति की सूचना एक अन्य विवरण में निम्नानुसार बताई गई है:–

क्र. सं.	विवरण	संख्या	अधिकारी/कर्मचारी पदों की संख्या		
			स्वीकृत	पूर्त	रिक्त
1.	महानिदेशक कार्यालय	1	22	17	05
2.	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा	1	87	65	22
3.	मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	2	57	35	21
4.	मुख्य शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	13	204	116	79
5.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	13	165	144	21
6.	खण्ड शिक्षा अधिकारी	95	475	342	133
7.	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद	1	102	84	20
8.	निदेशालय अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण	1	12	08	04
9.	राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0)	1	104	81	23
10.	राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट)	1	18	16	02
11.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)	13	123	70	53
12.	राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (रा0 उच्चतर मा0 विद्यालय)	1390	35826	25816	10010
13.	राजकीय हाई स्कूल (रा.मा. विद्यालय)	939			
14.	निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा	1	63	47	16
15.	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	2	37	28	09
16.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा	13	149	133	16
17.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)	95	665	516	149
18.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	12539	27451	26400	1051
19.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल/पूर्व माध्यमिक विद्यालय)	2791	8446	7588	858
	योग	**17912**	**74006**	**61506**	**12492**

राज्य में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सूचना निम्नवत बताई गई है:-

विद्यालय स्तर	विद्यालयों की संख्या
इण्टरमीडिएट स्तर	324
हाई स्कूल स्तर	66
जूनियर हाई स्कूल स्तर	268
प्राथमिक विद्यालय	06

उल्लेखनीय है कि राज्य में राजकीय एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय तथा विभिन्न शिक्षा परिषदों से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय भी बड़ी संख्या में संचालनरत हैं जबकि बोर्डिंग स्कूलों को छोड़कर शेष दिवसीय विद्यालयों के सापेक्ष राज्य में विद्यार्थियों की संख्या नियत है जो विद्यालयों की संख्या बढ़ने के आधार पर बढ़ नहीं सकती। राज्य में केंद्रीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार बताई गई है–

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) – 2440 अन्य अशासकीय विद्यालय

प्राथममिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8) – 2029 अन्य अशासकीय विद्यालय

हाईस्कूल – 282 अन्य अशासकीय विद्यालय

इण्टर	–	584 अन्य अशासकीय विद्यालय
समाज कल्याण विभाग में हाईस्कूल	–	14
समाज कल्याण विभाग में इण्टर	–	01
हाईस्कूल केन्द्रीय विद्यालय	–	04
इण्टर केन्द्रीय विद्यालय	–	59

यह भी अवलोकनीय है कि कदाचित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विद्यालयों में समुचित अवस्थापना सुविधाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी पूर्ति हेतु लगभग रू0 1213 करोड़ के व्यय का अनुमान सूचित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि राजकीय विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सहित सुविधाओं की कमियां हैं जिनका समाधान शीघ्र किया जाना आवश्यक होगा।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के अवलोकन से निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं –

1. प्रदेश में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों की संख्या (1390, जिसमें संचालित कदाचित 1297 हैं), राजकीय हाईस्कूलों की संख्या (939, अब कदाचित 962) से अधिक है। यह स्थिति कदाचित उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि कक्षा 10 तक की शिक्षा देने वाले हाई स्कूलों की संख्या अधिक व उससे उच्च स्तर की कक्षाओं (कक्षा 12 तक) वाले इण्टर कॉलेजों की संख्या कम होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद की पूर्ति कदाचित हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद से प्रोन्नति द्वारा की जाती है। इस स्थिति के युक्तिकरण से लगभग 400 इण्टरमीडिएट कालेजों की संख्या कम की जा सकती है अथवा उन्हें हाईस्कूल स्तर के विद्यालय के रूप में संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार 400 इण्टर कालेजों की संख्या कम करने से लगभग 9600 पद कम होंगे जिससे लगभग रू0 708 करोड़ का वार्षिक व्यय कम हो सकेगा। इन स्कूलों को केवल हाईस्कूल के रूप में चलाने पर वार्षिक व्यय भार में लगभग रू0 412 करोड़ की कमी हो सकेगी।
2. विकासखण्ड स्तर के निदेशालय स्तर तक प्रशासनिक संवर्ग के लिए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के दो–दो कार्यालय संचालित हैं। विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए उप शिक्षा अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) का सीधी भर्ती का पद है जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रेड वेतन 6600) का प्रोन्नति का पद है। जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी (ग्रेड वेतन 8700) का पद तथा ग्रेड वेतन 7600 में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) का पद एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) के दो, इस प्रकार कुल तीन पद प्रत्येक जनपद में हैं। मण्डल स्तर पर

भी अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) व अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के दो पद व कार्यालय हैं तथा विभागाध्यक्ष/निदेशालय स्तर पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा के दो पद/कार्यालय हैं। विकासखण्ड स्तर पर ग्रेड वेतन 6600 तथा जिला स्तर पर ग्रेड वेतन 7600 व 8700 के पद होने से अन्य विभागों में भी पदों की संख्या व वेतनमान बढ़ाने के लिए इसको उदाहरण के रूप में लेकर मांग भी कभी किसी स्तर पर उठाई जा सकती है। युक्तिकरण की दृष्टि से विकासखण्ड, जिला, मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर केवल एक–एक कार्यालय संचालित किये जा सकते हैं और अधिक कार्य के निपटारे हेतु ऐसे एकीकृत कार्यालयों के स्टाफ/पदों/अनुभागों के युक्तिकरण से भी इनके कुल अधीनस्थ पदों को कम से कम एक तिहाई या एक चौथाई कम किया जा सकता है। इस प्रकार विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी का ग्रेड वेतन 5400 में एक ही कार्यालय व पद, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का ग्रेड वेतन 6600 का एक ही कार्यालय व पद एवं मंडल स्तर पर संयुक्त निदेशक का एक ही कार्यालय व पद 7600 में रखा जा सकता है। जिला एवं मंडल स्तर पर यदि कार्य अधिक प्रतीत हो तो फिर यथोचित संख्या में (माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा हेतु) क्रमशः ग्रेड वेतन 5400 व 6600 में सहायक निदेशक स्तर का अपर जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप निदेशक (मंडल स्तर पर) के दो–दो पद रखे जा सकते हैं जो प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा अनुभागों के प्रभारी के रूप में क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी व मंडलीय संयुक्त निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्य कर सकते हैं। मंडल स्तर पर अपर निदेशक के पद के स्थान पर संयुक्त निदेशक का पद किये जाने के क्रम में तदानुसार विभिन्न शिक्षक सेवा नियमावलियों में नियुक्ति प्राधिकारी आदि के सम्बन्ध में यथा आवश्यक संशोधन एवं प्राधिकार प्रतिनिधायन में संशोधन किया जाय। एकीकृत निदेशालय (प्रारम्भिक व माध्यमिक दोनों हेतु) में वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार सहायक निदेशक (ग्रेड वेतन 5400), उप निदेशक (ग्रेड वेतन 6600), संयुक्त निदेशक (ग्रेड वेतन 7600) एवं अपर निदेशक (ग्रेड वेतन 8700) के पद रखे जा सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा का एक ही निदेशालय व निदेशक (ग्रेड वेतन 8900 अथवा 10000) का एक पद रखा जा सकता है। इससे लगभग रू0 40–50 करोड़ की वार्षिक बचत हो सकती है। उल्लेखनीय है कि इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य डी0डी0ओ0 के रूप में कार्य सम्पादन भी करते हैं एवं वे पर्याप्त वरिष्ठ होते हैं। अतः विद्यालय स्तर के कार्मिकों सम्बन्धी स्थापना/अधिष्ठान कार्यों का निर्वहन/सम्पादन उनके स्तर पर किया जा सकता है। साथ ही निदेशालय/मण्डल स्तर के काफी कार्य क्रमशः मण्डल या/और जनपद स्तर पर प्रतिनिधानित किये जा सकते हैं।

3. प्रदेश में अशासकीय/निजी विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा विभिन्न कारणों से उनमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है जबकि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कई प्रकरणों में कम हो रही है, यहां तक कि कई विद्यालय विद्यार्थी विहीन हो चुके हैं अथवा उनमें विद्यार्थियों की संख्या अति न्यून हो गई है। अतः प्रत्येक स्तर के विद्यालयों की संख्या का युक्तिकरण सम्बन्धित क्षेत्रों में एवं आसपास संचालित अन्य अशासकीय व राजकीय विद्यालयों तथा विद्यार्थी संख्या के आधार पर यथोचित मानकों को बनाते हुए किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजकीय विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर प्रति विद्यार्थी शिक्षा प्रदान करने का व्यय भार उत्तराखण्ड राज्य में बहुत अधिक (औसत लगभग रू0 2747.00 प्रतिमाह सूचित) है जबकि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रति विद्यार्थी शिक्षा प्रदान करने का औसत व्यय भार लगभग रू0 3031 प्रतिमाह सूचित की गई है। यह उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार की युक्तिकरण कार्यवाही से भी वार्षिक व्यय भार (लगभग रू0 250–300 करोड़) की अतिरिक्त कमी की जा सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि कदाचित राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालयों की स्थापना भी प्रारम्भ की है तथा केंद्र सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर राजीव नवोदय विद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं। केंद्र स्थलों पर आदर्श विद्यालयों की व्यवस्था/स्थापना के साथ परिवहन की व्यवस्था अनुबंध माध्यम की जा सकती है जिससे ऐसे आदर्श विद्यालयों में आसपास के एक बड़े क्षेत्र के विद्यार्थी प्रवेश लें और प्रति विद्यालय/कक्षा विद्यार्थियों की संख्या एक ओर बढ़ सके तो दूसरी ओर प्रति विद्यार्थी औसत व्यय भार कम हो सके। इस नीति से विद्यालयों की संख्या को युक्तिकरण माध्यम काफी मात्रा में कम किया जा सकेगा। ऐसा करने के साथ शिक्षण सहित शिक्षणेत्तर गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करते हुए राजकीय विद्यालयों के प्रति रूचि व विश्वास बढ़ाया जाना चाहिए।

4. यह भी संज्ञान में आया है कि कई गांवों/क्षेत्रों में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) तक के विद्यालय एक से दो कि0मी0 की परिधि में संचालित है और उनमें से अधिकांश में विद्यार्थियों की संख्या भी अति न्यून है। ऐसे विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक एक ही विद्यालय के रूप में संचालन किया जाना चाहिए, यदि आसपास 3 कि0मी0 क्षेत्र में (यदि कोई भौतिक/प्राकृतिक अथवा अन्य प्रकार की बाधा न हो तो) हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज संचालित होने की दशा में ऐसे विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक ही प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने चाहिए। साथ ही एस्कार्ट की व्यवस्था से दूरी अथवा अन्य बाधा का समाधान किया जा सकता है।

5. राज्य में कई जूनियर हाई स्कूलों को 'रमसा' अंतर्गत अथवा राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में हाई स्कूल में उच्चीकृत किया गया। कदाचित अध्यापकों के एक ग्रुप (जूनियर हाई स्कूल) के दबाव में अथवा किसी कारणवश ऐसे उच्चीकृत कई विद्यालयों (लगभग 661 विद्यालय) में जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल अब भी पृथक–पृथक संचालित किये जा रहे हैं और इस हेतु राज्य सरकार की भी सहमति किसी न किसी रूप में है। यह स्थिति उचित नहीं प्रतीत होती। ऐसे सभी विद्यालयों को एक ही विद्यालय अर्थात जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल के रूप में ही चलाया जाना चाहिए। इसके लिए आसपास स्थित अन्य विद्यालयों की स्थिति अनुसार युक्तिकरण की कार्यवाही की जा सकती है। इस कदम से लगभग रू0 119 करोड़ का आवर्तक, यद्यपि हाईस्कूल के रूप में चलाने हेतु लगभग रू0 662 करोड़ अनावर्तक व्यय की कदाचित आवश्यकता इंगित की गई है।

6. यह उल्लेखनीय है कि लगभग ढाई दशक पूर्व सी0टी0 संवर्ग (जूनियर हाई स्कूल स्तर का अध्यापक संवर्ग) को समाप्त किया गया तथा इन अध्यापकों को एल0टी0 संवर्ग में समायोजित किया गया। आज राज्य में जूनियर हाई स्कूल स्तर के लिए भी शिक्षक श्रेणी पुनः कार्यरत है। यह उचित प्रतीत होता है कि शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय शिक्षक व्यवस्था अपनाने पर विचार किया जाय जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक (प्रशिक्षित स्नातक अथवा टी0जी0टी0) एवं उच्चतर माध्यमिक (स्नातकोत्तर शिक्षक अथवा पी0जी0टी0) स्तर के तीन स्तरीय शिक्षक नियुक्त किये जायें। इस व्यवस्था में कक्षा–6 से आठ तक की कक्षाओं हेतु भी प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) शिक्षक अध्यापन करेंगे। इस व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति अपने संवर्ग व एल0टी0 संवर्ग में किये जाने हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) संचालित व गठित है। वर्तमान में इसकी आवश्यकता व इसको बनाये रखने की समीक्षा की जानी चाहिए एवं इसे समाप्त करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 एवं जिला स्तर पर डायट कार्यरत हैं। यह संस्था का कार्य वर्णित दोनों संस्थाओं एवं निदेशालय के स्तर पर अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से कराया जा सकता है।

8. राज्य स्तर पर निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण का पद/कार्यालय गठित व संचालित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) स्थापित होने की दृष्टि से इस पद व कार्यालय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती अतः इस पद व कार्यालय को समाप्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

9. एस0सी0ई0आर0टी0 में भारत सरकार से निर्दिष्ट दिशा–निदेर्शों/सुझाव अनुरूप पदों का सृजन व पद स्थापना शीघ्र किया जाना चाहिए एवं इस हेतु सेवा नियमावली अतिशीघ्र बनाई जानी चाहिए ताकि यह संस्था प्रभावी, कार्य कुशल व उपयोगी हो सके एवं पेशेवराना दृष्टि सहित प्रवीणता/दक्षता की भावना संस्था में विकसित हो सके। वर्तमान में कदाचित प्रशासनिक संवर्ग व अध्यापक संवर्ग से यह संस्था संचालित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि फैकल्टी पदों की अर्हता प्रशासनिक संवर्ग/शिक्षक संवर्ग की अर्हता से भिन्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि कदाचित ऐसा न करने के कारण केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिल पायेगी। यह धनराशि लगभग रू0 8–10 करोड़ वार्षिक होगी। ऐसा आभास होता है कि सम्भवतः विभागीय कार्मिकों (कदाचित अधिकारी वर्ग) के अपने संवर्ग हेतु पदों की उपलब्धता/सुविधा की दृष्टि से कार्यवाही में रूचि नहीं है।

10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सृजित फैकल्टी पदों के लिए भर्ती/सेवा शर्तों हेतु सेवा नियमावली अतिशीघ्र बनाई जानी चाहिए ताकि पर्याप्त अर्हता के फैकल्टी नियुक्ति हो सके और यह संस्था उपयोगी/प्रभावी व कार्य कुशल हो सके। वर्तमान में कदाचित शिक्षक संवर्ग से पदस्थापना द्वारा कार्य संचालन किसी प्रकार किया जाना संज्ञान में आया है।

11. ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (23 पद) व कनिष्ठ लेखा परीक्षक (13 पद) सृजित व इनके विरूद्ध क्रमशः 5 व 6 पद भरे हुए बताए गये हैं। चूंकि अब ऑडिट विभाग प्रथक से गठित है अतः इन पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार दफ्तरी पद भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

12. फार्म निरीक्षक (ग्रेड वेतन 4200) एवं फार्म सुपरवाईजर (ग्रेड वेतन 1900) के एक–एक पद सृजित हैं। फार्म (कदाचित ए0एन0 झा0 कालेज, रूद्रपुर के अधीन) का कार्य निविदा माध्यम यथोचित अनुबंध आधार पर नियत काल हेतु इस प्रकार दिया जा सकता है कि कृषि विषय की प्रयोग कक्षा हेतु विद्यार्थियों को शिक्षण/प्रयोग करने की पर्याप्त व्यवस्था उसमें निहित हो। तदानुसार यह एकल पद समाप्त किये जा सकते हैं।

13. विद्यालयी शिक्षा अंतर्गत विभिन्न स्तर के लगभग 26709 पद रिक्त बताए गये हैं। बजट मैनुअल (प्रस्तर 33) अनुसार लम्बे समय से रिक्त ऐसे पदों को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां यथोचित परीक्षण उपरान्त नये पद सृजित किये जायें।

14. लिपिकीय संवर्ग तथा आशुलिपिक संवर्ग अंतर्गत प्रोन्नति पद सहित स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था साथ–साथ विद्यमान है एवं ए0सी0पी0 की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जिस

संवर्ग में प्रोन्नति के पद हैं वहां स्टाफिंग पैटर्न लागू रखने की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

15. प्रधानाध्यापक के पदों पर एल0टी0 तथा प्रवक्ता दोनों संवर्ग से प्रोन्नति की व्यवस्था है जबकि प्रधानाचार्य पद पर प्रधानाध्यापक पद से प्रोन्नति की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने के साथ प्रधानाध्यापक पद पर एल0टी0 से प्रोन्नति तथा प्रधानाचार्य पद पर प्रवक्ता एवं प्रधानाध्यापक दोनों पदों से प्रोन्नति की यथोचित व्यवस्था अपनाए जाने पर परीक्षण कर विचार किया जा सकता है और तदानुसार सेवा नियमावलियां संशोधित की जा सकती हैं।

16. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0) की तरह राज्य शिक्षा परिषद (रामनगर स्थित) को स्वायत्त संस्था के रूप में बनाया जाने पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान में निदेशक माध्यमिक शिक्षा इसके पदेन प्रमुख हैं। स्वायत्त संस्था के रूप में परिषद का पुनर्गठन करने से इसकी कार्यकुशलता एवं प्रभाविता में सुधार सहित शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अथवा राज्य शिक्षा परिषद को समाप्त किया जाय जिस हेतु राज्य के स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था की जाय। इस दशामें गैर अनुदानित अशासकीय/अनुदानित अशासकीय विद्यालय जो राज्य शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं उनको भी सी0बी0एस0ई0 अंतर्गत लाये जाने की व्यवस्था की जानी होगी। साथ ही संस्कृत शिक्षा व मदरसा शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था होगी, के सम्बन्ध में विचार करना होगा।

17. अशासकीय विद्यालयों को अनुदान न दिया जाय तथा पूर्व से अनुदानित विद्यालयों के सम्बन्ध में अनुदान समाप्त करने की कार्यवाही की जाय। उल्लेखनीय है कि अब राजकीय विद्यालय पर्याप्त संख्या में सभी स्थानों पर स्थापित हैं और अशासकीय विद्यालयों/अशासकीय अनुदानित विद्यालयों के होते हुए राजकीय विद्यालयों के होते हुए राजकीय विद्यालयों में कई मामलों में छात्र संख्या कम हुई है/हो रही है।

(6) संस्कृत शिक्षा

संस्कृत शिक्षा निदेशालय में मार्च 2017 की स्थिति अनुसार स्वीकृत पद 18 है जिसके सापेक्ष 10 कार्यरत हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8700	01	–	01	निदेशक मा0शि0 पर अतिरिक्त प्रभार
2.	संयुक्त निदेशक/7600	01	–	01	
3.	उप निदेशक/6600	01	–	01	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
4.	वित्त नियंत्रक	01	–	01	वित्त नियंत्रक कृषि पर अतिरिक्त प्रभार (वित्त सेवा संवर्ग से)
5.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	–	
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/5400	01	–	01	
7.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	01	01	–	
8.	प्रशासनिक अधि0/4600	01	–	01	
9.	प्रधान सहायक/4200	02	01	01	
10.	वरिष्ठ सहायक/2800	02	01	01	
11.	वाहन चालक/1900	02	01	01	
12.	चतुर्थ श्रेणी/1800	04	04	–	
	योग	**18**	**10**	**08**	

संस्कृत शिक्षा परिषद में पदों की स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सभापति	–	–	–	पदेन (निदेशक संस्कृत शिक्षा)
2.	सचिव/6600	01	–	01	संयुक्त निदेशक मा0शि0 पर अतिरिक्त प्रभार
3.	उप सचिव/5400	01	–	01	
4.	शोध अधिकारी/5400	01	–	01	
5.	सहायक शोध अधि0/5400	01	–	01	
6.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	–	
7.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	01	–	01	
8.	प्रशासनिक अधि0/4800	01	01	–	प्रतिनियुक्ति कार्यरत
9.	वरिष्ठ सहायक/4200	01	01	–	–तदैव–
10.	अनुवादक/2800	01	–	01	
11.	कनिष्ठ सहायक/आउटसोर्सिंग	05	05	–	आउटसोर्सिंग
12.	वाहन चालक/आउटसोर्सिंग	01	–	01	आउटसोर्सिंग
13.	चतुर्थ श्रेणी/आउटसोर्सिंग	04	04	–	आउटसोर्सिंग
	योग	**19**	**12**	**07**	

जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा में निम्नानुसार पद सूचित किये गये हैं :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सहायक निदेशक/5400	13	–	13	06 पद पर अधियाचन प्रेषित व 06 पर प्रतिनियुक्ति का प्रयास
2.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	01	–	01	
3.	प्रशासनिक अधि0/4800	01	–	01	
4.	प्रधान सहायक/4200	03	–	03	
5.	वरिष्ठ सहायक/2800	05	–	05	
6.	कनिष्ठ सहायक/1900	03	09	–	
	योग	**26**	**09**	**17**	

राजकीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में पदों की स्थिति निम्नानुसार बताई गई है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रधानाचार्य/7600	02	–	02	
2.	प्रधानाध्यापक/5400	04	–	04	
3.	प्रवक्ता/4800	14	–	14	
4.	सहायक अध्यापक/4600	42	16	26	
5.	कनिष्ठ सहायक/2000	06	–	06	
6.	चतुर्थ श्रेणी/1800	20	10	10	
	योग	**88**	**26**	**62**	

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के पदों की स्थिति नीचे दी गई तालिका अनुसार बताई गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/7600	75	32	43	
2.	प्रवक्ता/4800	75	38	37	
3.	सहायक प्रवक्ता/अध्यापक/4600	293	131	162	
4.	लिपिक/1900	26	24	02	
5.	चतुर्थ श्रेणी/1800	37	27	10	
	योग	**506**	**252**	**254**	

राजकीय संस्कृत विद्यालयों की संख्या 04, अनुदानित अशासकीय संस्कृत विद्यालयों की संख्या 75 तथा अनुदान विहीन अशासकीय विद्यालयों की संख्या 14 बताई गई है। 01 विद्यालय प्राथमिक स्तर का व भारत सरकार अनुदान अंतर्गत हरिद्वार में 01 विद्यालय भी होना बताया है। कुल छात्र संख्या 5490 + 3362 = 8852 सूचित की गई है। उक्त सूचना से स्पष्ट है कि संस्कृत शिक्षा निदेशालय, संस्कृत शिक्षा परिषद तथा जनपदों में अधिकांश पद रिक्त हैं तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में भी बहुत से पद रिक्त हैं। निदेशालय, परिषद एवं जनपद

कार्यालयों सहित राजकीय संस्कृत विद्यालयों का वेतन सम्बन्धी व्यय वर्ष 2015–16 में लगभग रू0 69.07 लाख है जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को वेतन सम्बन्धी अनुदान व्यय लगभग रू0 16.61 करोड़ है। सभी पद भरे होने की दशा में शासकीय संस्कृत विद्यालयों, परिषद व निदेशालय का वेतन व्यय लगभग रू0 2.00 करोड़ से ऊपर होता। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में वेतन अनुदान व्यय सभी पद भरे होने पर लगभग रू0 34.00 करोड़ होता।

प्राप्त सूचनाओं के आलोक में निम्नलिखित बिन्दु कार्यवाही हेतु विचार योग्य हैं :–

1. संस्कृत शिक्षा, शिक्षा का ही एक अंग है अतः इसे शिक्षा विभाग की शाखा के रूप में लिया जाना उचित होगा। शिक्षा की अन्य व्यवस्थाओं यथा मदरसा शिक्षा को भी इसी रूप में लिया जाना उचित होगा। अतः संस्कृत शिक्षा हेतु अलग निदेशालय, जनपद स्तरीय कार्यालय एवं शिक्षा परिषद की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मुख्य शिक्षा की शाखा के रूप में व्यवस्था इकजाई आधार पर की जानी उचित होगी। इस विचार के दृष्टिगत विद्यालयी शिक्षा निदेशालय में ही संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर पर अलग प्रभारी व अनुभाग की व्यवस्था तथा जनपद स्तर पर भी एक–एक सहायक निदेशक व अनुभाग के माध्यम संस्कृत शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएं संचालित की जा सकती हैं। संस्कृत शिक्षा परिषद को भी समाप्त कर विद्यालयी शिक्षा परिषद में ही एक उप सचिव अथवा सहायक सचिव व अनुभाग की व्यवस्था से कार्य संचालित किया जा सकता है।
2. मदरसा शिक्षा व ऐसी ही अन्य शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में भी उक्तानुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

(7) एन0सी0सी0

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व एन0सी0सी0 के 03 ग्रुप मुख्यालय एवं 15 यूनिट कार्यालय अर्थात कुल 18 कार्यालय थे। राज्य गठन के पश्चात एन0सी0सी0 निदेशालय तथा 03 नई यूनिट (02 पंतनगर व 01 बागेश्वर) गठित हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में एन0सी0सी0 के कुल 22 कार्यालय होना सूचित किया गया है। राज्य में एन0सी0सी0 हेतु कैडेटों की कुल अधिकृत संख्या 31544 बताई गई है जिसमें सीनियर विंग में 15059 तथा जूनियर विंग में 14888 कुल 29947 कैडेट पंजीकृत हैं जो अधिकृत संख्या के सापेक्ष 94.94 प्रतिशत होना इंगित किया गया है।

एन0सी0सी0 में कदाचित तीन प्रकार के पद/कार्मिक हैं। पहली श्रेणी सेना के कार्मिकों की है जिनका वेतन व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 प्रतिशत अंश द्वारा

व्यय वहन किया जाता है। दूसरी श्रेणी राज्य से पूर्णतः वित्त पोषित पद हैं एवं तीसरी श्रेणी में संबंधित शैक्षिक संस्थान के विशिष्ट कार्मिक ही एन0सी0सी0 सम्बन्धी कार्य अतिरिक्त रूप से संभालते हैं। दूसरी श्रेणी से सम्बन्धित पदों का विवरण निम्नवत् बताया गया है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	वित्त अधिकारी	01	01	–	
2.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	02	–	02	
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	12	11	01	
4.	प्रशासनिक अधिकारी	13	08	05	
5.	प्रधान सहायक	23	21	02	
6.	वरिष्ठ सहायक	53	33	02	
7.	कनिष्ठ सहायक	40	27	13	
8.	वरिष्ठ सम्परीक्षक	01	–	01	
9.	सम्परीक्षक	02	–	02	
10.	सहायक लेखाकार	02	–	02	
11.	लेखा लिपिक	16	–	16	
12.	चालक	44	40	04	
13.	शिप मॉडलिंग इन्स्ट्रक्टर	01	–	01	
14.	शिप मॉडलिंग मैकेनिक	01	–	01	
15.	एयरो मॉडलिंग इन्स्ट्रक्टर	01	–	01	
16.	अनुसेवक	26	14	12	रिक्त पद आउटसोर्सिंग से पूर्त है
17.	लश्कर	108	60	48	–तदैव–
18.	चौकीदार	16	03	13	–तदैव–
19.	स्वच्छक	20	14	06	–तदैव–

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. वरिष्ठ सम्परीक्षक, सम्परीक्षक तथा लेखा लिपिक के पद समाप्त कर दिये जाये क्योंकि ऑडिट के लिए अलग विभाग गठित है जबकि लेखा लिपिक पदनाम का कोई पद अब शासकीय विभागों में नहीं है। यदि इन पदों के सम्बन्ध में अधियाचन भेजा गया हो तो तत्काल अधियाचन यथास्थिति वापस मंगा लिया जाय।
2. लिपिक संवर्ग में लागू स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था को लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय।

(8) उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 05 राज्य सरकार के विश्वविद्यालय क्रमशः श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, पर्वतीय आवासीय

विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी राज्य में है जबकि पन्तनगर विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय आदि कुल 07 अन्य भी हैं जिनमें न्यायिक एवं विधिक विश्वविद्यालय कदाचित अभी अस्तित्व में नहीं है। साथ ही राज्य में 11 निजी विश्वविद्यालयों तथा तीन डीम्ड विश्वविद्यालय भी होना बताया गया है।

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 100 है जबकि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 18 बताई गई है। राजकीय महाविद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है –

क) राजकीय महाविद्यालयों का विवरण

क्र0सं0	संस्था का नाम	छात्र संख्या	शैक्षणिक पदों की संख्या		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	जनपद नैनीताल				
1.	एम0बी0राज0 महा0वि0, हल्द्वानी	13314	183	121	62
2.	राज0 महिला स्ना0महावि0, हल्द्वानी	1169	32	24	8
3.	राज0 स्ना0महावि0 रामनगर	5232	43	40	3
4.	राज0 महावि0, दोषापानी चौखुटा	284	8	7	1
5.	राज0 महावि0 कोटाबाग	131	6	5	1
6.	राज0 महावि0 बेतालघाट	129	7	6	1
7.	राज0 महावि0, हल्दूचौड़	690	31	5	26
8.	राज0 महावि0 मालधनचौड़	0	6	2	4
9.	राज0 महावि0, पतलोट	111	7	1	6
	जनपद बागेश्वर				
10	राज0 स्ना0 महावि0, बागेश्वर	2361	36	27	9
11.	राज0 महावि0, कपकोट	328	11	10	1
12.	राज0 महावि0, गरूड़	267	9	6	3
13.	राज0 महावि0, काण्डा	155	9	8	1
14.	राज0 महावि0, दुर्गनाकुरी	64	7	3	4
	जनपद अल्मोड़ा				
15.	राज0स्ना0 महावि0 रानीखेत	2190	51	50	1
16.	राज0स्ना0 महावि0 द्वाराहाट	728	14	13	1
17.	राज0स्ना0 महावि0 स्याल्दे	296	16	11	5
18.	राज0स्ना0 महावि0 मानिला	329	19	9	10
19.	राज0 महावि0, जैंती	204	21	16	5

20.	राज0 महावि0 चौखुटिया	349	10	7	3
21.	राज0 महावि0 सोमेश्वर	449	19	14	5
22.	राज0 महावि0 भिकियासैण	406	10	6	4
23.	राज0 महावि0 गरूड़ाबाज	262	8	7	1
24.	राज0 महावि0, तल्ला सल्ट	77	7	6	1
25.	राज0 महावि0 भतरौंजखान	115	7	6	1
26.	राज0 महावि0 मांसी	94	7	6	1
27.	राज0 महावि0 लमगड़ा	71	6	6	0
28.	राज0 महावि0, शीतलाखेत	41	8	6	2
जनपद पिथौरागढ़					
29.	राज0 स्ना0 महावि0 पिथौरागढ़	5977	121	89	32
30.	राज0 स्ना0 महावि0 बेरीनाग	986	31	13	18
31	राज0 स्ना0 महावि0, नारायणनगर	523	18	7	11
32.	राज0 महावि0, बलुवाकोट	438	14	4	10
33.	राज0 महावि0 मुनस्यारी	553	12	1	11
34.	राज0 महावि0, गंगोलीहाट	611	8	8	0
35.	राज0 महावि0 मुवानी	163	7	7	1
36.	राज0 महावि0, गणाईगंगोली	84	7	7	0
जनपद चम्पावत					
37.	राज0 स्ना0 महावि0 चम्पावत	567	17	16	1
38.	राज0 स्ना0स्ना0. महावि0 लोहाघाट	2102	31	24	7
39.	राज0 महावि0 देवीधुरा	119	7	3	4
40.	राज0 महावि0, बनबसा	59	7	4	3
41	राज0 महावि0, टनकपुर	791	15	11	4
42.	राज0 महावि0, अमोड़ी	52	8	3	5
जनपद उधमसिंह नगर					
43.	राज0 स्ना0 महावि0, खटीमा	5366	26	24	2
44.	राज0 स्ना0 महावि0, रूद्रपुर	5565	48	42	6
45.	राज0 स्ना0 महावि0, काशीपुर	50403	57	50	7
46.	राज0 महावि0, बाजपुर	1291	33	20	13
47.	राज0 महावि0, सितारगंज	240	7	5	2
जनपद पौड़ी					
48.	राज0स्ना0महावि0, कोटद्वार	5310	83	75	8
49.	राज0स्ना0महावि0, जयहरीखाल	860	26	75	8
50.	राज0 महावि0,बेदीखाल	218	8	6	2

51.	राज0 महावि0, चौबट्टाखाल	278	12	8	4
52.	राज0 महावि0, थलीसैण	170	7	4	3
53.	राज0 महावि0, सतपुली	457	13	8	5
54.	राज0 महावि0, रिखणीखाल	149	13	9	4
55.	राज0 महावि0, नैनीडॉण्डा	298	15	5	10
56.	राज0 महावि0, मजरा महादेव	101	7	3	4
57.	राज0 महावि0, कोटद्वार भावर	308	15	14	1
58.	राज0 महावि0, पोखडा	42	8	3	5
59.	राज0 महावि0, उफरैंखाल	40	8	1	7
जनपद चमोली					
60.	राज0स्ना0महावि0, गोपेश्वर	2838	70	40	30
61.	राज0स्ना0महावि0, कर्णप्रयाग	1895	31	23	8
62.	राज0स्ना0महावि0, जोशीमठ	265	17	9	8
63.	राज0स्ना0महावि0, नागनाथपोखरी	350	19	15	4
64.	राज0महावि0, गैरसैण	400	19	13	6
65.	राज0महावि0, तलवाड़ी	436	12	12	0
66.	राज0 महावि0, घाट	326	7	1	7
67.	राज0महावि0, नन्दासैण	64	7	1	6
68.	राज0विधि महावि0, गोपेश्वर	96	96	6	3
जनपद रूद्रप्रयाग					
69.	राज0स्ना0महावि0, अगस्त्यमुनि	2454	40	21	19
70	राज0 महावि0, जखोली	383	11	6	5
71	राज0 महावि0, रूद्रप्रयाग	26	16	7	9
72.	राज0 महावि0, गुप्तकाशी	104	9	4	5
जनपद उत्तरकाशी					
73.	राज0स्ना0महावि0, उत्तरकाशी	2617	62	32	30
74.	राज0 महावि0 बडकोट	295	11	7	4
75.	राज0 महावि0 पुरौला	529	13	9	4
76.	राज0 महावि0, चिन्यलीसौड़	404	13	10	3
77.	राज0 महावि0, ब्रहमखाल	99	7	5	2
जनपद टिहरी गढ़वाल					
78.	राज0 स्ना0महावि0 नई टिहरी	1167	51	47	4
79.	राज0 महावि0, देवप्रयाग	240	12	4	8
80	राज0 महावि0, अगरोड़ा	234	13	9	4
81	राज0 महावि0, चन्द्रबदनी	373	19	17	2

82	राज0 महावि0, नैनबाग	483	8	8	0
83.	राज0 महावि0, लम्बगॉव, प्रतापनगर	197	15	13	2
84.	राज0 महावि0, थत्यूड	233	19	10	9
85.	राज0 महावि0, पौखाल	138	8	4	4
86.	राज0 महावि0, नरेन्द्र नगर	463	25	19	6
87.	राज0 महावि0, पोखरी पट्टी क्वीली	79	7	4	3
88.	राज0 महावि0, पावकी देवी	40	7	3	4
89.	राज0 महावि0, कमांद	62	7	1	6
	जनपद देहरादून				
90.	राज0 स्ना0 महावि0 डाकपत्थर	2285	31	25	6
91.	राज0स्ना0महादि0 ऋषिकेश	2911	71	66	5
92.	राज0स्ना0महावि0 डोईवाला	1638	29	27	2
93.	राज0 महावि0 चकराता	252	13	9	4
94.	राज0महावि0 त्यूनी	221	13	4	9
95.	राज0महावि0 रायपुर	546	11	9	2
	जनपद हरिद्वार				
96.	राज0महावि0, लक्सर	672	8	8	0
97.	राज0 महावि0, मरगूबपुर	129	7	6	1
98.	राज0 महावि0, मंगलौर	106	7	6	1
99.	राज0 महावि0, चुड़ियाला	173	123	11	1
100.	राज0 महिला महावि0, खानपुर	148	7	5	2

ख. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का विवरण

क्र0सं0	संस्था का नाम	छात्र संख्या	शैक्षणिक पदों की संख्या		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	जनपद देहरादून				
1.	डी0डब्लू0टी0 कालेज, देहरादून।	72	10	9	1
2.	डी0ए0बी0 पी0जी0 कालेज देहरादून।	17619	186	135	51
3.	डी0बी0एस0 कालेज, देहरादून।	2771	67	53	14
4.	एम0के0पी0 पी0जी0 कालेज, देहरादून	2934	52	32	20
5.	श्री गुरूराम राय कालेज, देहरादून	3951	41	30	11
6.	एम0पी0जी0 कालेज मसूरी, देहरादून।	902	24	12	12
	जनपद हरिद्वार				
7.	आर0एम0पी0 पी0जी0 कालेज, हरिद्वार	919	17	13	4

8.	बी0एस0एम0 पी0जी0 कालेज, रूड़की हरिद्वार।	1114	21	16	5
9.	के0एल0डी0 ए0 वी0 कालेज, रूड़की हरिद्वार।	1498	19	11	8
10.	चिन्मय डिग्री कालेज, हरिद्वार।	394	13	8	5
11.	एस0डी0पी0सी0 कालेज, रूड़की, हरिद्वार।	1381	13	9	4
12.	एस0एम0जे0एन0 कालेज, हरिद्वार।	122817	17	12	5
13.	महिला महावि0 पी0 जी0 कालेज कनखल हरिद्वार।	894	11	9	2
14.	चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा (हरिद्वार)	1360	35	8	27
जनपद टिहरी गढ़वाल					
15.	बाल गंगा महाविद्यालय, सैन्दुल कैमर	910	11	5	6
जनपद उधमसिंहनगर					
16.	चन्द्रावती तिवारी कन्या महावि0, काशीपुर	1129	7	6	1
जनपद पौड़ी गढ़वाल					
17.	राठ महाविद्यालय, पैठाणी	376	28	8	20
18.	गुरूगोरखनाथ महाविद्यालय, यमकेश्वर बिथियाणी	184	26	—	26

राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में छात्र संख्या व शैक्षणिक पदों का सारांश निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	जनपद	राजकीय महाविद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	शैक्षणिक पदों की संख्या		
				स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	नैनीताल	09	21060	323	211	112
2.	बागेश्वर	05	3775	72	54	18
3.	अल्मोड़ा	14	5611	203	163	40
4.	पिथौरागढ़	08	9335	218	135	83
5.	चम्पावत	06	3690	85	61	24
6.	उधमसिंहनगर	05	18589	171	141	30
7.	पौड़ी गढ़वाल	12	8231	215	158	57
8.	चमोली	09	6670	1911	19	72
9.	रूद्रप्रयाग	04	2967	76	38	38

10.	उत्तरकाशी	05	3944	106	63	43
11.	टिहरी गढ़वाल	12	3709	191	139	52
12.	देहरादून	06	7853	168	140	28
13.	हरिद्वार	05	1228	41	36	05
	योग	**100**	**96662**	**2060**	**1458**	**602**

अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संख्या व शैक्षणिक पदों का सारांश निम्नानुसार है –

क्र0 सं0	जनपद	राजकीय महाविद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	शैक्षणिक पदों की संख्या		
				स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	देहरादून	06	28249	380	271	109
2.	हरिद्वार	08	8788	11	05	06
3.	टिहरी	01	910	11	05	06
4.	उधमसिंहनगर	01	1129	07	06	01
5.	पौड़ी गढ़वाल	02	560	54	08	46
	योग	**18**	**39636**	**598**	**376**	**222**

जनपदवार प्रति शिक्षक छात्र संख्या सम्बन्धी स्थिति निम्नानुसार इंगित होती है –

क) राजकीय महाविद्यालय

क्र0	जनपद	स्वीकृत शैक्षणिक पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक छात्र संख्या	कार्यरत शैक्षणिक पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक छात्र संख्या
1.	नैनीताल	65	100
2.	बागेश्वर	52	70
3.	अल्मोड़ा	28	34
4.	पिथौरागढ़	43	69
5.	चम्पावत	43	61
6.	उधमसिंहनगर	109	132
7.	पौड़ी	38	52
8.	चमोली	35	56
9.	रूद्रप्रयाग	39	78
10.	उत्तरकाशी	37	63
11.	टिहरी	19	27
12.	देहरादून	47	56
13.	हरिद्वार	30	34
	योग	**68**	**97**

ख) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय

क्र0	जनपद	स्वीकृत शैक्षणिक पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक छात्र संख्या	कार्यरत शैक्षणिक पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक छात्र संख्या
1.	देहरादून	74	104
2.	हरिद्वार	60	1023
3.	टिहरी	83	182
4.	उधमसिंहनगर	161	188
5.	पौड़ी	10	70
	योग	**66**	**105**

उक्त से स्पष्ट है कि राजकीय महाविद्यालयों के मामले में जनपद अल्मोड़ा, टिहरी तथा हरिद्वार में प्रति शिक्षक छात्र संख्या अपेक्षाकृत न्यून है जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के मामले में जनपद पौड़ी में प्रति शिक्षक छात्र संख्या स्वीकृत पदों के सापेक्ष न्यून है।

उच्च शिक्षा निदेशालय तथा राजकीय महाविद्यालय में पदों का विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है :–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	निदेशक/10000	1	1	–
2.	संयुक्त निदेशक/10000	1	1	–
3.	उप निदेशक/10000	3	3	–
4.	प्राचार्य	100	84	16
5.	सहायक निदेशक	4	2	2
6.	एसो0 प्रोफेसर	1977	290	877
7.	असि0 प्रोफेसर		810	
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष	25	–	25
9.	वित्त नियंत्रक	1	1	–
10.	लेखाधिकारी	1	–	1
11.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	19	11	8
12.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	1	–	1
13.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	25	25	–
14.	प्रशासनिक अधिकारी	26	23	3
15.	वैयक्तिक अधिकारी	4	4	–
16.	लेखाकार	2	–	2
17.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9	9	–
18.	वैयक्तिक सहायक	14	7	7
19.	प्रधान सहायक	59	20	39
20.	अन्वेषक कम संगणक	2	1	1
21.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	70	2	68

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
22.	लेखा परीक्षक	2	–	2
23.	लेखाकार/सहायक लेखाकार	7	3	4
24.	वरिष्ठ सहायक	96	44	52
25.	आर्टिस्ट	2	–	2
26.	प्रयोगशाला सहायक	333	143	190
27.	कनिष्ठ सहायक	132	40	92
28.	पुस्तकालय लिपिक	28	–	28
29.	स्टोर कीपर	2	–	2
30.	कैटलागर	1	–	1
31.	तबला वादक	11	4	7
32.	इलैक्ट्रीशियन/मैकेनिक	13	5	8
33.	तकनीशियन	2	1	1
34.	टूर एण्ड ट्रेनिंग असि0	2	–	2
35.	टेक्नीशियन फोटोग्राफी	2	–	2
36.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	–
37.	सूचीकार	1	–	1
38.	वाहन चालक	2	2	–
39.	अनुसेवक	553	365	188
	योग	**3534**	**1902**	**1632**

उक्तानुसार कुल सृजित पदों के सापेक्ष भरे पद 1902 बताए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 130.11 करोड़ एवं 2016–17 में लगभग रू0 151. 60 करोड़ है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय क्रमशः लगभग रू0 241.75 करोड़ व रू0 281.68 करोड़ होता। लगभग 60 प्रतिशत पद यू0जी0सी0 वेतनमान के हैं जिनके सम्बन्ध में सातवें पुनरीक्षित वेतन की व्यवस्था भी अब हो चुकी है जबकि लगभग 40 प्रतिशत राजकीय कर्मचारियों के वेतनमान वाले पदों में सातवें पुनरीक्षित वेतन अन्य राजकीय कर्मियों के साथ लागू हो चुके हैं। यदि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें पुनरीक्षित वेतन से होने वाली वृद्धि प्रतिशत के अनुसार ही अनुमान लगाया जाय तो वर्ष 2016–17 में भरे पदों की संख्या अनुसार पुनरीक्षित वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 150 करोड़ होगा जबकि सभी पद भरे होने की दशा में पुनरीक्षित वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 278 करोड़ होना अनुमानित है। अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को वेतन के लिए अनुदान व्यय 2015–16 में लगभग रू0 57.38 करोड़ व 2016–17 में लगभग रू0 62.32 करोड़ है।

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. राजकीय महाविद्यालयों की संख्या सीमित करने पर विचार किया जाय। वर्तमान में 100 महाविद्यालय होना सूचित किया गया है। विचार–विमर्श के दौरान एक महाविद्यालय में

5–6 विषयों की व्यवस्था व प्रति विषय 60 छात्रों की संख्या अनुसार एक महाविद्यालय में लगभग 300 छात्र संख्या होना उचित कहा गया। प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न जनपदों में लगभग 51 महाविद्यालयों में छात्र संख्या 300 से कम है। अतः ऐसे महाविद्यालयों को बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए और उनके विद्यार्थियों को नजदीक के महाविद्यालय में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहां महाविद्यालयों में विद्यार्थी संख्या काफी अधिक है वहां अन्य महाविद्यालय आबादी के विस्तार अनुसार उचित स्थलों पर खोलने पर विचार किया जा सकता है। प्रमुख एवं केन्द्रीय स्थलों के महाविद्यालयों में छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था/सुविधा, जो अनुदानयुक्त (Subsidised) हो सकती है, बनाई जानी चाहिए। अनुदानित महाविद्यालय में भी तदानुसार 300 विद्यार्थी से कम संख्या वाले महाविद्यालय को अनुदान देना समाप्त किया जाने पर विचार किया जाय। उल्लेखनीय है कि राज्य में विश्वविद्यालय व उनके संघटक महाविद्यालय भी कार्यरत हैं।

2. महाविद्यालयों में स्वीकृत विषयों की समीक्षा की जाय और जिन विषयों में भी विद्यार्थी संख्या न्यून हो उन विषयों को समाप्त कर सम्बन्धित शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को समाप्त किया जाय।

3. राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित/संचालित है। साथ ही इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की भी उपलब्धता है। अतः जहां कही भी आस–पास महाविद्यालय या तो नहीं हैं अथवा उक्त बिन्दु 1 अनुसार महाविद्यालय बंद/समाप्त किया जाय तो वहां के विद्यार्थियों को मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था अंतर्गत सम्मिलित करने की सुविधा भी सुलभ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4. अन्वेषक कम संगणक, लेखा परीक्षक, स्टोर कीपर, कटेलागर, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि पद जो अति न्यून संख्या में है अथवा लेखा परीक्षा का अलग विभाग बन जाने के दृष्टिगत इन पदों को समाप्त किया जा सकता है।

5. लिपिक संवर्ग में लगभग 357 तथा अनुसेवक के 553 पद हैं। महाविद्यालयों की संख्या सीमित करने के सुझाव के क्रम में एवं अन्य आधार के दृष्टिगत इन पदों की संख्या भी वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार सीमित की जाय। लिपिक संवर्ग व वैयक्तिक सहायक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय।

(9) तकनीकी शिक्षा

निदेशालय तथा पालीटेक्निकों में पदों का विवरण फरवरी, 2017 की स्थिति अनुसार निम्नवत् सूचित किया गया है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	01	–	01	
2.	अपर निदेशक/8700	01	01	–	
3.	संयुक्त निदेशक/7600	01	–	01	
4.	वित्त नियंत्रक/7600	01	–	01	
5.	उप निदेशक/6600	02	02	–	
6.	प्रधानाचार्य/7600	77	15	62	
7.	अध्यक्ष (विभिन्न विषय)/ 6600	270	126	144	
8.	व्याख्याता (विभिन्न विषय)/ 5400	953	231	722	
9.	प्रवक्ता (विभिन्न विषय)/ 5400	05	–	05	
10.	कार्यशाला अधीक्षक/5400	29	06	03	
11.	कनिष्ठ व्याख्याता/4200	25	–	25	
12.	सहायक प्रवक्ता (विभिन्न विषय/4200	58	01	57	
13.	कार्यशाला अनुदेशक/कला अनुदेशक (विभिन्न विषय)/4200	317	167	150	
14.	फोरमैन/4200	01	–	01	
15.	अनुदेशक भाषा, स्टेनोग्राफी, कामर्शियल प्रैक्टिस/2800	19	01	18	
16.	इन्स्ट्रूमेन्ट रिपेयरर/2800	04	01	03	
17.	सीएनसी मशीन ऑपरेटर/ 2800	02	–	02	
18.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ ऑपरेटर/2800	80	05	75	
19.	पुस्तकालयाध्यक्ष/2800	76	18	58	
20.	लैब टैक्नीशियन/2800	24	17	7	
21.	मोटर ड्राइवर कम मैकेनिक/2000	02	–	02	
22.	टाईपराइटर मैकेनिक/1900	03	01	02	
23.	आफिस ड्राफ्टमैन/4200	03	03	–	
24.	लेखाकार/4200	06	01	05	
25.	सहायक लेखाकार/2800	54	08	46	
26.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/4200	01	–	01	
27.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	02	01	01	
28.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	23	10	13	
29.	प्रधान सहायक/4200	74	14	60	
30.	वरिष्ठ सहायक/2800	82	18	64	
31.	कनिष्ठ सहायक/2000	118	98	20	
32.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/2000	25	19	06	
33.	कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्सिंग)	06	05	01	
34.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग)	18	34	–16	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
35.	कनिष्ठ लेखा सहायक/ 2000	05	–	05	
36.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	01	–	01	
37.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/ 4200	01	01	–	
38.	वैयक्तिक सहायक/2800	01	01	–	
39.	वाहक चालक/1900	02	01	01	
40.	इलैक्ट्रीशियन/2000	01	01	–	
41.	वाहन चालक (आउटसोर्स)	02	–	02	
42.	दफ्तरी/1800	09	–	09	
43.	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/ चौकीदार/अर्दली/1800	329	156	173	
44.	चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स)	139	139	–	
45.	स्वच्छक/1800	37	16	21	
46.	स्वच्छक (पार्ट टाइम)	46	38	08	
	योग	**3013**	**1176**	**1837**	

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 27.86 करोड़ है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 71.38 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 83 करोड़ होता है। अशासकीय सहायता प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए वर्ष 2015–16 में वेतन हेतु अनुदान पर व्यय लगभग रू0 2.60 करोड़ सूचित किया गया है। राज्य के एकमात्र अनुदानित/वित्त पोषित अशासकीय के एल पॉलीटैक्निक रूड़की में छात्र संख्या 957, शैक्षणिक पदों की स्वीकृत संख्या 100, कार्यरत पद 49 व रिक्त पद 52 बताए गये हैं। स्पष्ट है कि रिक्त पद भरने की दशा में वेतन व्यय लगभग दोगुने से ऊपर (लगभग रू0 5.31 करोड़ से अधिक) होता। इस अशासकीय पॉलीटैक्निक सस्थान में शैक्षणिक स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक मात्र 9.57 छात्र हैं जबकि भरे पदों के सापक्ष यह औसत लगभग 19.53 है।

उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थाओं की संख्या, उनकी छात्र संख्या, शैक्षणिक पदों का विवरण निम्नवत् सूचित की गई है :–

क्र0	संस्था का नाम	छात्र संख्या	शैक्षणिक पदों का विवरण		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	जनपद–गढ़वाल				
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक श्रीनगर	1000	117	46	71
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक सतपुली	96	26	6	20
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक बीरोंखाल	114	38	7	31
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक कोटद्वार	266	40	17	23

5.	राजकीय पॉलीटैक्निक थलनदी	136	36	17	19
6.	राजकीय पॉलीटैक्निक पाबौं	43	27	5	22
7.	राजकीय पॉलीटैक्निक पौड़ी	64	30	8	22
8.	राजकीय पॉलीटैक्निक बड़खेत	0	28	1	27
	योग	**1719**	**342**	**107**	**235**
जनपद–चमोली गढ़वाल					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक गौचर	414	67	39	28
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक गोपेश्वर	230	48	15	33
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक गैरसैंण	67	29	5	24
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक कुलसारी	66	28	9	19
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक जोशीमठ	26	29	3	26
6.	राजकीय पॉलीटैक्निक पोखरी	327	40	9	31
	योग	**1130**	**241**	**80**	**161**
जनपद–रूद्रप्रयाग					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग	81	35	18	17
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक जखोली	22	24	10	14
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक देवली मणिग्राम	0	26	0	26
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता	66	29	5	24
	योग	**169**	**114**	**33**	**81**
जनपद उत्तरकाशी					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी	352	85	36	49
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक बड़कोट	162	28	10	18
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक पिपली	53	30	5	25
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक चिन्यालीसौड़	73	28	5	23
	योग	**640**	**171**	**56**	**115**
जनपद चम्पावत					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक लोहाघाट	430	71	40	31
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक टनकपुर	125	28	11	17
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक चम्पावत	41	31	6	25
	योग	**596**	**130**	**57**	**73**
जनपद टिहरी					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक नई टिहरी	113	38	15	23

2.	राजकीय पॉलीटैक्निक नरेन्द्रनगर	750	83	43	40
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक हिण्डोलाखाल	84	26	5	21
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक जाखणीधार	45	27	6	21
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक गजा/पोखरी	64	29	10	19
6.	रा0 पॉलीटैक्निक ओखला प्रतापनगर	62	29	5	24
7.	राजकीय पॉलीटैक्निक बछेलीखाल	58	31	6	25
8.	राजकीय पॉलीटैक्निक जोगनीसैंण	0	28	0	28
9.	राजकीय पॉलीटैक्निक काण्डीखाल	64	31	6	25
10.	राजकीय पॉलीटैक्निक कैम्पटी	0	0	0	0
	योग	**1240**	**322**	**96**	**226**
	जनपद देहरादून				
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक देहरादून	850	97	46	51
2.	राजकीय म0 पॉलीटैक्निक देहरादून	322	36	20	16
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक सहिया	117	26	11	15
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक विकासनगर	98	36	18	18
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक गढ़ी श्यामपुर	109	24	13	11
6.	रा0 पॉलीटैक्निक क्वांसी (चकराता)	56	29	12	17
7.	राजकीय पॉलीटैक्निक रानीपोखरी	0	44	4	40
	योग	**1805**	**322**	**140**	**182**
	जनपद–हरिद्वार				
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक हरिद्वार	216	40	14	26
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक भलस्वागाज	51	28	8	20
	योग	**267**	**68**	**22**	**46**
	जनपद–उधमसिंहनगर				
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक पंतनगर	102	27	16	11
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक काशीपुर	1350	96	61	35
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक शक्तिफार्म	244	41	18	23
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक बाजपुर	134	63	14	49
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक खटीमा	129	29	14	15
	योग	**1959**	**256**	**123**	**133**
	जनपद–अल्मोड़ा				
1.	राजकीय म0 पॉलीटैक्निक अल्मोड़ा	253	45	30	15

2.	राजकीय पॉलीटैक्निक सल्ट	128	40	18	22
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक द्वाराहाट	538	85	47	38
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक ताकुला	141	34	25	9
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक चौनलिया	42	26	8	18
6.	राजकीय पॉलीटैक्निक मल्लासालम	51	25	10	15
7.	राजकीय पॉलीटैक्निक दनिया	60	29	9	20
8.	राजकीय पॉलीटैक्निक बाड़ेछीना	84	30	8	22
9.	राजकीय पॉलीटैक्निक जैंती	16	31	2	29
10.	राजकीय पॉलीटैक्निक चौखुटिया	0	33	1	32
11.	राजकीय पॉलीटैक्निक सोमेश्वर	0	33	0	33
12.	राजकीय पॉलीटैक्निक देघाट	0	50	0	50
	योग	**1313**	**461**	**158**	**302**
जनपद–बागेश्वर					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक गरूड़	100	35	12	23
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक काण्डा	98	32	10	22
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक कपकोट	15	29	3	26
	योग	**213**	**96**	**25**	**71**
जनपद–नैनीताल					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक नैनीताल	883	121	59	62
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक कालाढूंगी	251	33	16	17
3.	राजकीय म0 पॉलीटैक्निक कोटाबाग	173	25	18	7
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक रामनगर	66	29	9	20
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक भीमताल	67	28	7	21
	योग	**1440**	**236**	**109**	**127**
जनपद–पिथौरागढ़					
1.	राजकीय पॉलीटैक्निक कनालीछीना	100	25	11	14
2.	राजकीय पॉलीटैक्निक डीडीहाट	19	19	3	16
3.	राजकीय पॉलीटैक्निक गणाई गंगोली	182	39	17	22
4.	राजकीय पॉलीटैक्निक मूनाकोट	115	30	7	23
5.	राजकीय पॉलीटैक्निक बांसगबड़ (तल्ला जौहार)	25	27	2	25
6.	राजकीय पॉलीटैक्निक बेरीनाग	32	27	5	22

7.	राजकीय पॉलीटैक्निक बांस	33	31	3	28
8.	राजकीय पॉलीटैक्निक बरम	24	31	5	26
	योग	**530**	**229**	**53**	**176**

उक्त का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है –

क्र0	जनपद	राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थाओं की संख्या	छात्र संख्या	शैक्षणिक पदों का विवरण		
				स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	पौड़ी गढ़वाल	08	1719	342	107	235
2.	चमोली	06	1130	241	80	161
3.	रूद्रप्रयाग	04	169	114	33	81
4.	उत्तरकाशी	04	640	171	56	115
5.	टिहरी गढ़वाल	10	1240	322	96	226
6.	देहरादून	08	1805	222	140	182
7.	हरिद्वार	02	267	68	22	46
8.	चम्पावत	03	596	130	57	73
9.	उधमसिंहनगर	05	1956	256	123	133
10.	अल्मोड़ा	12	1313	461	158	303
11.	बागेश्वर	03	213	96	25	71
12.	नैनीताल	05	1440	236	109	127
13.	पिथौरागढ़	08	530	229	53	176
	योग	**78**	**13018**	**2888**	**1059**	**1929**

पॉलीटैक्निक संस्थान वार प्राप्त सूचना से स्पष्ट है कि आठ पॉलीटैक्निक विद्यार्थी विहीन हैं जबकि कुछ अन्य संस्थानों में विद्यार्थी संख्या अति न्यून है। प्रदेश के राजकीय पॉलीटैक्निक के कुल विद्यार्थियों एवं कुल शैक्षणिक स्वीकृत पदों के अनुसार प्रति शिक्षक मात्र 4.51 विद्यार्थी हैं। भरे हुए शिक्षक पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक कुल लगभग 12.29 ही छात्र हैं। जनपदवार प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद	स्वीकृत पद के सापेक्ष प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या	भरे पदों के सापेक्ष प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या
1.	पौड़ी	5.03	16.07
2.	चमोली	4.69	14.13
3.	रूद्रप्रयाग	1.48	5.12
4.	उत्तरकाशी	3.74	11.43
5.	टिहरी	3.85	12.92
6.	देहरादून	8.13	12.89

7.	हरिद्वार	3.93	12.14
8.	चम्पावत	4.58	10.46
9.	उधमसिंहनगर	7.64	15.90
10.	अल्मोड़ा	2.85	8.31
11.	बागेश्वर	2.22	8.52
12.	नैनीताल	6.10	13.21
13.	पिथौरागढ़	2.31	10
	योग	**4.51**	**12.29**

उपलब्ध सूचनाओं के क्रम में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. राजकीय पॉलीटैक्निकों में प्रधानाचार्य, विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्ष, व्याख्याता, प्रवक्ता, कर्मशाला अधीक्षक, कनिष्ठ व्याख्याता, सहायक प्रवक्ता, कर्मशाला अनुदेशक, अनुदेशक आदि के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। यहां तक कि कई मामलों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पद शून्य हैं। ऐसी स्थिति कदाचित इसलिए है कि पॉलीटैक्निकों की स्थापना बिना यह सुनिश्चित किये की गई है कि इनके लिए स्वीकृत किये जा रहे पदों पर भर्ती हो सकेगी अथवा नहीं। यह भी जानकारी मिली है कि इन संस्थानों में भौतिक अवसंरचनाओं आदि की भी कमी है। यह स्थिति विद्यार्थियों/युवओं के भविष्य संवारने के अनुकूल नहीं कहीं जा सकती है। कदाचित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था व संचालन हेतु बजट उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया गया। उचित होगा कि पॉलीटैक्निकों की संख्या पर पुनर्विचार किया जाय तथा केवल उतने ही पॉलीटैक्निक चलाए जाएं जिनमें पर्याप्त अवसंरचना, सुविधाएं तथा स्टाफ उपलब्ध हो और बजट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उचित होगा कि फिलहाल अधिकतम 15 या 20 पॉलीटैक्निक ही चलाए जाएं अर्थात प्रत्येक जनपद में कम से कम एक पॉलीटैक्निक रहे। विभागीय अधिकारियों से विचार–विमर्श के दौरान औपचारिक रूप से समिति को अवगत कराया गया कि राज्य में राजकीय पॉलीटैक्निकों की संख्या 20–25 तक ही सीमित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमुख/केन्द्रीय स्थलों के पॉलीटैक्निकों में पर्याप्त छात्रावास सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उल्लेखनीय यह भी है कि कदाचित 19 पॉलीटैक्निकों में छात्रावास की सुविधा हैं भी जिन्हें आवश्यकतानुसार विस्तारित व सुदृढ़ किया जा सकता है। वर्तमान में स्वीकृत स्टाफ की संख्या तदानुसार इन्हीं 15 से 20 (जैसी भी संख्या नियत की जाय) पॉलीटैक्निकों के लिए ही की जाय और आवश्यक स्टाफ के पदों को छोड़कर शेष पद समाप्त किये जायें। कार्यरत स्टाफ को तदानुसार बने रहने वाले संस्थाओं में तैनाती की जाय। उल्लेखनीय है कि वर्तमान

में 78 राजकीय पॉलीटैक्निक सहित कुल 133 पॉलीटैक्निक होना बताया गया है। इस प्रकार 54 पॉलीटैक्निक निजी क्षेत्र में संचालित हैं जिनमें से 01 अनुदानित है।

2. निदेशक का पद ग्रेड वेतन 8900 में बताया गया है कि जबकि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2009 अनुसार निदेशक का पद ग्रेड वेतन 10000 में होना इंगित है। यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। अपर निदेशक का पद ग्रेड वेतन 8700 में बताया गया है जबकि उक्त नियमावली के अनुसार अपर निदेशक का पद नहीं है। अतः इस स्थिति को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

3. ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का 01 पद तथा कनिष्ठ लेखा सहायक के 05 पद सूचित किया है जो सभी रिक्त हैं। इन पदों को समाप्त कर दिया जाय क्योंकि ऑडिट विभाग अलग बनाया जा चुका है तथा लेखा सहायक पद का औचित्य नहीं है क्योंकि अब यह पद ही नहीं है।

4. राज्य में राजकीय पॉलीटैक्निकों की संख्या 78 है तथा एक अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त पॉलीटैक्निक (रूड़की) है। राजकीय पॉलीटैक्निकों में कुल विद्यार्थी संख्या 13018 है तथा कुल स्वीकृत शैक्षणिक पद 2888 के सापेक्ष कार्यरत पद 1059 ही हैं और 1929 पद रिक्त हैं। इस प्रकार प्रति शिक्षक औसत विद्यार्थी संख्या स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 4.51 है तथा भरे पदों के सापेक्ष मात्र 12.29 है। प्रति शिक्षक औसत विद्यार्थी संख्या न्यून होना तथा पॉलीटैक्निकों में आधारभूत/आवश्यक अवसंरचनाओं व सुविधाओं का अभाव की स्थिति न तो विद्यार्थियों के हित में है और न प्रदेश की दृष्टि से। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के आर्थिक संसाधन भी सीमित हैं। अतः पॉलीटैक्निकों की संख्या पुनर्निर्धारित करते हुए प्रदेश में प्रति जनपद 01 पॉलीटैक्निक पर्याप्त क्षमता के छात्रावास सहित कुल लगभग 15 से 20 पॉलीटैक्निक सभी संरचनात्मक व्यवस्थाओं व अन्य सुविधाओं युक्त बनाए जाएं एवं अन्य पॉलीटैक्निकों को फिलहाल बंद कर दिया जाय।

5. पॉलीटैक्निकों की संख्या सीमित करने के फलस्वरूप अन्य स्टाफ के पदों (यथा सहायक लेखाकार, लिपिक संवर्ग आदि) की संख्या भी तदनुरूप सीमित की जाए।

6. यह सूचित किया गया है कि राजकीय पॉलीटैक्निक वार मानक अनुसार शैक्षणिक पदों की राज्य में कुल संख्या 1279 होनी चाहिए जबकि स्वीकृत पद 2888 बताए गए हैं, अतः पॉलीटैक्निकों की संख्या उक्तानुसार सीमित करने के साथ–साथ शैक्षणिक पदों की संख्या मानक अनुसार ही रखी जाय एवं गैर शैक्षणिक पदों की संख्या न्यूनतम वास्तविक आवश्यकतानुरूप रखी जाय।

(10) प्रशिक्षण विभाग

निदेशालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय (दो) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (कुल संस्थान 176) में पदों की स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/	01	–	01	
2.	अपर निदेशक (प्रशि0)/अपर शिशिक्षु परामर्शदाता/	01	01	–	
3.	संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु)	03	–	03	
4.	संयुक्त शिशिक्षु परामर्शदाता/	01	–	01	
5.	उपनिदेशक परीक्षा/	01	–	01	
6.	उपनिदेशक प्रशिक्षण/	02	–	02	
7.	उप शिशिक्षु परामर्शदाता/	01	–	01	
8.	वित्त अधिकारी/	01	–	01	
9.	सहायक निदेशक प्रशि0/	04	01	03	
10.	सहायक शिशिक्षु परामर्शदाता/	01	–	01	
11.	सहायक लेखाधिकारी/	01	01	–	
12.	वैयक्तिक सहायक/	09	02	07	
13.	सर्वेयर/	02	02	–	
14.	सीनियर ऑडीटर/	02	–	02	
15.	लेखाकार/	03	03	–	
16.	लेखा लिपिक/	04	–	04	
17.	कनिष्ठ लेखा लिपिक/	08	–	08	
18.	प्रधानाचार्य श्रेणी–1/	06	01	05	
19.	प्रधानाचार्य श्रेणी–2/	70	19	51	50–50 प्रतिशत सीधी भर्ती व प्रोन्नति
20.	कार्यदेशक/	190	74	116	
21.	अनुदेशक/	1352	586	650	
22.	भण्डार अधीक्षक/	02	02	–	पदोन्नति पद
23.	भण्डारी/	55	31	24	40 प्रतिशत पदोन्नति व 60 प्रतिशत सीधी भर्ती
24.	सहायक भण्डारी/	98	59	39	60 प्रतिशत पदोन्नति व 40 प्रतिशत सीधी भर्ती
25.	मुख्य प्रशा0 अधि0/	08	01	07	
26.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/	40	34	06	
27.	प्रशा0 अधि0/	39	04	35	
28.	प्रधान सहायक/	72	22	50	
29.	वरिष्ठ सहायक/	114	31	83	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
30.	कनिष्ठ सहायक/	131	60	71	
31.	कार्यशाला परिचर/भण्डार परिचर/	313	105	208	
32.	कम्पाउण्डर/	15	05	10	
33.	ड्रेसर/	08	—	08	
34.	अनुसेवक/चौकीदार/स्वच्छ/माली/	685	289	396	
35.	ड्राईवर/	07	02	05	
36.	दफ्तरी/	03	02	01	
	योग	**3253**	**1337**	**1800**	

वेतन व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा राज0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची भी प्राप्त नहीं कराई गई है। निजी क्षेत्र में स्थापित/संचालित आई0टी0आई0 की सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो विवरण कार्यालयों के नाम व स्थान के विषय में दिया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कदाचित राज्य में 176 राजकीय आई0टी0आई0 हैं।

कार्यवाही हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों विभागों का एकीकरण मंत्रालय, सचिवालय तथा निदेशालय तीनों स्तर पर किया जाना चाहिए। मंत्रालय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण सभी एक मंत्री के अधीन रहें ताकि समन्वय, समन्वित नीति निर्धारण एवं संसाधनों का अधिकतम तथा बेहतर उपयोग हो सके। इस दशा में विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण सहित) तीन विभागाध्यक्ष रहें। एक निदेशालय सेवायोजन का पृथक रखा जा सकता है जो बेरोजगारों (प्रत्येक स्तर के शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवती) का उस विद्यालय/संस्थान के माध्यम अनिवार्य पंजीकरण करे और उन युवक/युवतियों से सम्पर्क/समन्वय कर उनके रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त होने की प्रगति भी उसके पंजीकरण विवरण के साथ दर्ज करें। कम्प्यूटर तकनीकी के इस युग में यह आसानी से किया जा सकता है। साथ ही यह निदेशालय वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर राज्य/जनपद/क्षेत्र विशेष स्तर पर प्लेसमैन्ट मेला आयोजन करें और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कराने में सहयोग करें। इससे विभिन्न स्तर की शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों का विवरण व उनके क्षेत्रवार रोजगार प्राप्त करने की अध्यावधिक स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी। सेवायोजन का कार्यालय जनपद स्तर पर भी रखना उचित होगा। तदानुसार सेवायोजन कार्यालय/निदेशालय के कार्य दायित्व पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। सेवायोजन निदेशालय स्तर पर ही शिशिक्षुता का कार्य व्यवहृत किया जाना उचित होगा ताकि आगे

रोजगार के साथ समन्वय रह सके। प्लेसमैन्ट हेतु मेला के अतिरिक्त सभी उद्योगों/सेवायोजकों (निजी क्षेत्र सहित) से उनकी आवश्यकता (अर्हता सहित) ज्ञात करने व उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार हर वर्ष पंजीकृत युवक/युवतियों की सूची व बायोडाटा प्रेषित करने की व्यवस्था/दायित्व इस निदेशालय को दिया जाना चाहिए।

2. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय में स्नातक, परास्नातक व उच्च स्तर हेतु एक शाखा, डिप्लोमा (पालीटेक्निक) हेतु दूसरी शाखा तथा प्रशिक्षण (आई0टी0आई0) हेतु तीसरी शाखा एक–एक अपर निदेशक के नेतृत्व में रखी जा सकती है। तकनीकी शिक्षा परिषद को डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए जबकि स्नातक एवं उच्च स्तर हेतु विश्वविद्यालय के अधीन परीक्षा व पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहेगी।

3. राजकीय आई0टी0आई0 की संख्या को सीमित किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि एक ओर इन संस्थानों में प्रधानाचार्य, कार्यदेशक, अनुदेशक आदि पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं तो इन संस्थानों में अवसंरचना/सुविधाएं भी कदाचित पर्याप्त नहीं हैं। उचित होगा कि आई0टी0आई0 की संख्या अधिकतम 100 तक ही रखी जाय जिसमें प्रत्येक विकासखण्ड में एक तथा प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त आई0टी0आई0 की व्यवस्था रहे। साथ ही इन्जीनियरिंग कालेज, पॉलीटैक्निक व राजकीय प्रशिक्षण संस्थान जहां तक संभव हो एक ही परिसर में रखे जायें।

4. निदेशालय में वित्त अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी में से एक ही पद रखा जाय।

5. सीनियर ऑडिटर, लेखा लिपिक, कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद समाप्त किये जायें। उल्लेखनीय है कि ये पद रिक्त भी हैं।

6. कम्पाउण्डर के पद समाप्त किये जाये तथा कार्यरत कार्मिकों को चिकित्सा विभाग में समायोजित करने की व्यवस्था की जाय।

7. प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या सीमित करने के साथ सम्बन्धित सभी पदों की संख्या भी तदानुसार कम की जाय। उल्लेखनीय है कि अनुसेवक के 685 पद (289 कार्यरत) तथा कार्यशाला परिचर/भण्डार परिचर के 313 पद (105 कार्यरत) हैं।

8. तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण निदेशालय एकीकृत होने के क्रम में लिपिकीय संवर्ग के पदों को भी तदानुसार सीमित किया जाये एवं स्टाफिंग पैटर्न में विभिन्न पदों का प्रतिशत सहित इसे लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय।

9. निदेशालय के अतिरिक्त पृथक संयुक्त निदेशक कार्यालय न रखा जाय तथा वर्तमान संयुक्त निदेशक कार्यालय निदेशालय में ही समाहित किया जाय।